



भा.व.आ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान

ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(Indian Council of Forestry Research & Education)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त परिषद)

(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

NH 23, Gumla Road, Lalgotwa

Ranchi - 835303 (Jharkhand) Email: dir_ifp@icfre.org

श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाएं –

डेली वेजेस के आधार पर (सुरक्षा एवं रखरखाव सेवाएं, प्रयोगशाला

एवं प्रायोगिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्य, कार्यालयीन कार्य, ड्राइवर

इत्यादि) - मुहैया कराने हेतु ई-निविदा-पत्र

GeM के माध्यम से

E-TENDER DOCUMENT

FOR

MANPOWER OUTSOURCING SERVICES – ON DAILY
WAGES BASIS (SECURITY AND UP-KEEPING SERVICES,
NURSERY & FIELD WORK, OFFICE WORK, DRIVER etc.)

THROUGH GeM

ई-निविदा सूचना सं. श्रमशक्ति नियोजन - सेवाएं 01/2024-25

E-Tender Notice No. Manpower Services 01/2024-25



भा.व.आ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान

ICFRE- INSTITUTE OFFOREST PRODUCTIVITY

(भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद)

(Indian Council of Forestry Research & Education)

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त निकाय)

(An Autonomous Body of Ministry of Environment, Forest & Climate Change, Govt. of India)

NH 23, Gumla Road, Lalgotwa

Ranchi - 835303 (Jharkhand).

दूरभाष/Phone no.0651-2526140/150 , Email: dir_ifp@icfre.org

F.No. X-OM-32/2023-24/Estate/ICFRE/IFP

Dated: 09/07/2024

ई-निविदा-आमंत्रण-सूचना /Notice Inviting e-Tender

भा.व.आ.शि.प.- वन उत्पादकता संस्थान, राँची में "श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाएं – डेली वेजेस के आधार पर (सुरक्षा एवं रखरखाव, सेवाएं, प्रयोगशाला एवं प्रायोगिक क्षेत्रों में विभिन्न कार्य, इत्यादि) के लिए दो बोली प्रणाली अर्थात् अर्हकारी/प्राविधिक बोली एवं वित्तीय बोली लगाने हेतु निविदाकर्ताओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है।

E-tender is invited by ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi in Two bid system i.e. Qualifying/Technical bid and financial bid for "Manpower Outsourcing Services – Daily Wages Basis at ICFRE- Institute of Forest Productivity, Ranchi.

निविदा-सूची /Schedule of Tender		
क्रं.सं. S No.	क्रिया विवरण Activity Description	सूची /Schedule
1.	निविदा क्रं / Tender No.	श्रमशक्ति नियोजन - सेवाएं /Manpower Services 01/2024-25
2.	बोली (बिड) GeM पोर्टल में प्रस्तुत करने की प्रारंभ तिथि Start date of submission of bid in GeM portal	09-07-2024 निविदा दस्तावेज केवल GeM पोर्टल (https://gem.gov.in) पर उपलब्ध है जिसे बोली लगाने वाले निविदाकर्ता के प्रत्यायक का उपयोग करते हुए लॉगइन कर डाउनलोड किया जा सकता है। 09-07-2024. The tender document is available only in the GeM portal (https://gem.gov.in) which may be downloaded by using bidder login credentials.
3.	बोली (बिड) खोलने की तिथि के पूर्व आयोजित की जाने वाली बैठक की समय-सारणी	दिनांक /date 16-07-2024 को अपराह्न 03 बजे से 04 बजे तक / from 16-07-2024, 03:00 PM to 04:00 PM (बैठक आयोजित करने का स्थान: भा.व.आ.शि.प.- वन उत्पादकता

	Pre-bid meeting schedule	संस्थान, राँची के प्रशासनिक भवन का भूतल स्थित सम्मेलन-कक्ष । (Venue: Conference Hall, Administrative Building, Ground Floor, ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, Ranchi.)
4.	बोली (बिड) ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि / Last date of submitting bid online	29-07-2024
5.	प्राविधिक बोली (बिड) खोलने की तिथि /Date of Opening of Technical Bid.	30-07-2024
6.	वित्तीय बोली (बिड) खोलने की तिथि एवं समय Time and Date of Opening of Financial Bid	प्राविधिक बोली (बिड) मूल्यांकन परख के पश्चात विनिश्चय किया जाएगा । It will be decided after technical bid evaluation.
7.	संभावित ठेके की अवधि /Tentative Contract Period	निविदा आवंटन से एक वर्ष हेतु एवं कार्य संतोषजनक होने पर विस्तार योग्य । For one year from the date of award and may be extended for another term if satisfactory.
8.	जमा की जानेवाली बयाना राशि (यदि विधिमान्य प्रमाण-पत्र है अर्थात् एमएसएमई, स्टार्टअप इत्यादि है तो, नियमानुसार बयाना राशि जमा करने की छूट-प्राप्त होगी) । Amount of EMD to be deposited (Exempted if have valid certificate viz. MSME, Startup etc.) as per rule.	Rs. 64,291/- Sixty-Four Thousand Two Hundred Ninety-One rupees Only. Rs. 64,291 /- चौसठ हजार दो सौ इक्यानवे रुपये मात्र।

बोलीदाताओं के लिए निर्देश/Instruction to Bidders

I. निविदा दस्तावेजों को दिये हुए समयावधि में GeM portal (<https://gem.gov.in>) के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

The tender documents can be downloaded from the website of GeM portal (<https://gem.gov.in>) in the given time period.

II. इच्छुक एवं पात्र बोली लगाने वाले (बिडर्स) अपने निविदा-पत्र विहित प्रपत्र में GeM portal (<https://gem.gov.in>) पर ऑनलाइन ही प्रस्तुत करें। बोली लगाने वाले (बिडर्स) को यह अनिवार्य है कि, निविदा-प्रपत्र पूर्ण रूप से भरा जाए। इच्छुक निविदाकर्ताओं को सलाह दी जाती है कि, कृपया निविदा-प्रपत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से पूर्व कोई शुद्धि-पत्र/परिशिष्ट/संशोधन जारी होने की जानकारी प्राप्त करने हेतु बार-बार GeM portal (<https://gem.gov.in>) वेबसाइट के संपर्क में रहें।

The intending and eligible bidders have to submit the tenders online only at GeM portal (<https://gem.gov.in>) in the prescribed proforma. It is mandatory for the bidder to fill the tender form completely. Intending tenderers are advised to visit the web site of GeM portal (<https://gem.gov.in>) frequently prior to closing date of submission of tender for any corrigendum/addendum/amendment.

III. इच्छुक एवं पात्र बोली लगाने वाले (बिडर्स) से अपेक्षित है कि कार्य की प्रकृति एवं अनुमानित मात्रा को बेहतर तरीके से समझने हेतु आयोजित प्री बिड बैठक में भाग लें।

The intending and eligible bidders are requested to attend pre-bid meeting to know about nature and quantum of works.

IV. इच्छुक बोलीदाता (बिडर्स) निविदा दस्तावेज के अनुसार GeM portal (<https://gem.gov.in>) पर अपना भाव/दर ऑनलाइन जमा करें। निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि निविदा दस्तावेज और उपरोक्त वेबसाइट में दिए गए निर्देशों के अनुसार निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें। पात्रता मानदंड आदि के समर्थन में सभी दस्तावेजों/प्रमाण को स्कैन कर निविदा दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना है। निर्धारित तिथि और समय समाप्त होने के पश्चात कोई भी निविदा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जाएंगे। इस निविदा के संबंध में कोई भी शुद्धि-पत्र / परिशिष्ट केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही उपलब्ध होगा।

Interested bidders submit their quotation online on GeM portal (<https://gem.gov.in>) as per the tender document. Bidders are requested to follow the instructions carefully as per the tender document and the instructions given in the above said website. All the documents/certificates in support of eligibility criteria etc. are also to be scanned and uploaded along with the tender document. No bid will be accepted after the expiry of stipulated date and time for the purpose under any circumstances what so ever. **Any corrigendum/addendum regarding this tender will be available on the above said website only.**

V. इंडेक्स के साथ अपलोड किए गए दस्तावेजों में पेज नंबर होने चाहिए। निविदा के अनुसार वांछित दस्तावेज ही संलग्न करें। अवांछित और दोहराये गए दस्तावेज संलग्न न करें।

There should be page numbers in the documents uploaded along with the **index**. Attach only the desired documents according to the tender. Do not attach unsolicited and replicated documents.

VI. बोलीकर्ता (बिडर्स) **₹. 64, 291 चौंसठ हजार दो सौ इक्यानवे रुपये मात्र का बैंक डिमांड ड्राफ्ट (डीडी) निविदा की बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में, निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, राँची के पक्ष में** आहरित इस कार्यालय में बोलियां खोलने से पहले जमा करना होगा (डीडी की स्कैन की गई प्रति ऑनलाइन अपलोड की जानी चाहिए)। वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अर्थात एम.एस.एम.ई. इत्यादि) प्रस्तुत करने पर फर्मो/एजेंसियों/समितियों/व्यक्तियों आदि को सरकार के नियमों के अनुसार ई.एम.डी. जमा करने से छूट दी जाएगी। बोलीकर्ताओं/निविदाकर्ताओं से अनुरोध है कि, यदि वे डिमांड ड्राफ्ट जमा कर रहे हैं तो, उसके पीछे स्पष्ट रूप से अपना नाम और पूरा पता अवश्य लिखें।

The applicant has to deposit Earnest Money (EMD) of **Rs. 64,291 (Sixty Four Thousand Two Hundred And Ninty One Rupees) Only** in the form of a Demand Draft (DD) from Bank drawn in favor of the **Director, Institute of Forest Productivity, Ranchi** and it has to be submitted before opening of bids to this office (Scanned copy of DD to be uploaded online) towards EMD. **Firms/agencies/co operative/societies/individuals etc. will be exempted from submitting EMD as per Govt. norms subject to submission of the valid registration certificate (viz. MSME etc.). Bidders are requested to write their name and full address at the back of Demand Draft if they are submitting it.**

VII. ई.एम.डी. राशि का बैंक ड्राफ्ट निविदा आमंत्रित प्राधिकारी अर्थात, निदेशक, भा.व.अ.शि.प.- वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व केवल डाक द्वारा प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

The aforesaid Demand Draft towards cost for EMD must be submitted to the tender inviting authority i.e., Director, Institute of Forest Productivity, Payable at Ranchi by post only within the last date of online submission of bid.

VIII. यदि ई.एम.डी. छूट लागू हो तो सम्बंधित प्रमाण-पत्र (एम.एस.एम.ई. इत्यादि) की स्कैन की हुई प्रतिलिपि संलग्न नहीं किए जाने की स्थिति में, निविदा दस्तावेज (निविदा प्रपत्र) स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

The duly filled-in tender documents (tender form) shall not be accepted if they are not accompanied by the scanned copy of the DD towards the EMD if applicable or MSME etc. certificate in the above portal.

IX. प्रावधिक बोली (Technical Bid) को इस कार्यालय की निविदा खोलने की समिति द्वारा निर्धारित तिथि पर ऑनलाइन खोला जाएगा। पहले चरण में, कार्यालय में गठित निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी)

द्वारा तकनीकी बोली का मूल्यांकन किया जाएगा। दूसरे चरण में केवल तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं की ही वित्तीय बोली (Financial Bid) खोली जाएगी, निविदा मूल्यांकन समिति (टीईसी), वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद सफल फर्म/एजेंसी को कार्य सौंपने के लिए अपनी विशिष्ट सिफारिश देगी। नए स्टार्टअप के लिए अनुभव लागू नहीं है। वित्तीय बोलियों में यदि एक से अधिक बोलीदाता एल1 आते हैं तो उपयुक्त एल1 बोलीदाता का चयन करने का अंतिम निर्णय टीईसी/निदेशक का होगा और सभी बोलीदाताओं के लिए मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

The Technical Bids will be opened online on scheduled date by a Tender Opening Committee of this Office. At the first stage the technical bids shall be evaluated by the Tender Evaluation committee (TEC) constituted for the purpose by the office. At the second stage, the Financial Bids of only those bidders who qualify in the technical bid will be opened. The Tender Evaluation Committee (TEC), after evaluation of the Financial Bids will give its specific recommendation for award of work to the successful firm/agency. Experience is not applicable for fresh startups. In financial bids if more than one bidder comes out with L1 then the decision of TEC/Director on selecting suitable L1 bidder will be final and abiding to all bidders. In this regard, no representation will be entertained.

X. यह कार्यालय निविदा दस्तावेज में सम्मिलित किसी भी नियम और शर्तों को संशोधित करने या वापस लेने का अधिकार रखता है या बिना कोई नोटिस दिए या बिना कोई कारण बताए किसी भी / सभी निविदाओं को आंशिक / पूर्ण रूप से स्वीकार / अस्वीकार करने का अधिकार रखता है। इस संबंध में निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची का निर्णय अंतिम और सभी पर बाध्यकारी होगा।

This Office reserves the right to amend or withdraw any of the terms and conditions contained in the Tender Document or to accept/reject any/all tenders in part /full without giving any notice or assigning any reason thereof. The decision of the Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi in this regard shall be final and binding on all.

XI. बोलीदाता द्वारा बिड के सभी दस्तावेजों निर्देशों, प्रपत्रों, विनिर्देशों, नियमों और शर्तों की जांच करना अपेक्षित है। बोली दस्तावेजों के अनुसार आवश्यक सभी सूचनाओं और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने में विफल रहने या बिड पर्याप्त रूप से प्रस्तुत नहीं करने या बोली को हर लिहाज से बोली दस्तावेजों के लिए पर्याप्त रूप से उत्तरदायी नहीं रहना बोलीदाता के जोखिम पर होगा और बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ को मुहर के साथ विधिवत हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए और तदनुसार अपलोड किया जाना चाहिए।

The Bidder is expected to examine all instructions, forms, specifications, terms and conditions in the Bid Documents. Failure to furnish all information and documents required as per the Bid Documents or submission of bids not substantially responsive to the Bid Documents in every

respect will be at the Bidder's risk and shall result in rejection of the bid. Each and every page of this document must be duly signed along with the seal/stamp and uploaded accordingly.

XII. निदेशक, भा.व.अ.शि.प.- वन उत्पादकता संस्थान, राँची स्वविवेक से, यदि आवश्यक हुआ तो, निविदा की अंतिम तिथि बढ़ा सकते हैं जो कि निविदाकर्ता पर बाध्यकारी होंगी। इस निविदा के संबंध में यदि कोई परिवर्तन / शुद्धिपत्र/बिड खोलने की तिथि का विस्तार यदि कोई हो, तो केवल वेबसाइट के माध्यम से जारी किया जाएगा और इस संबंध में कोई प्रेस अधिसूचना जारी नहीं की जाएगी। इसलिए बोलीदाताओं से अनुरोध है कि, वे निविदा से सम्बंधित अद्यतीकरण (अपडेट) की जानकारी प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से संबंधित वेबसाइट के संपर्क में रहें।

Director, ICFRE- Institute of Forest Productivity, Ranchi at discretion may extend closing date if required and such extension shall be binding on Tenderers. Any changes/corrigendum/ extension of opening date if any, in respect of this tender shall be issued through above website only and no press notification will be issued in this regard. Bidders are therefore requested to regularly visit the concerned website for updates.

XIII . भा.व.अ.शि.प.- वन उत्पादकता संस्थान, राँची नामांकन / बोलीकर्ता के रूप में पंजीकरण या प्रस्तुतिकरण एवं ई-पोर्टल पर कार्य प्रस्ताव में किसी देरी के लिए उत्तरदायी नहीं रहेगा। यदि निविदाएं खोलने के दिन सरकार द्वारा कोई अवकाश घोषित किया जाता है तो, निविदाएं अगले कार्य-दिवस पर पूर्व में तय समय पर खोली जाएगी।



ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi will not be responsible for any delay in enrollment/registration as bidder or submitting/uploading the offer on e- tender portal. In case any holiday is declared by the Govt. on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time.

XIV. अनजाने में निविदा दस्तावेज़ में किसी भी चूक या लिपिकीय गलती सुधार और समायोजन के अधीन होना चाहिए और फर्म ऐसी किसी भी गलती से किसी भी अनुचित लाभ को प्राप्त नहीं करेगा।

Any oversight or clerical mistake crept in inadvertently in the tender document should be subject to correction and adjustment at a later date and the firm shall not draw any undue advantage whatsoever out of any such mistake.

XV. स्थानीय स्तर पर पंजीकृत सहकारी समितियां, श्रम कल्याण समितियां, यदि वे अन्य सभी पात्रताएं पूरी करती हैं, तो सरकारी मानदंडों के अनुसार परिभाषित विशेषाधिकारों के लिए पात्र होंगी।

Co-operative societies, labour welfare societies registered at local level, will be eligible for defined privileges as per Government norms, if they fulfill all other eligibilities.


निदेशक/Director, 
भा.व.अ.शि.प. वन उत्पादकता संस्थान, राँची /
ICFRE- Institute of Forest Productivity, Ranchi.
भा.व.अ.शि.प. 1050-3032

श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु अंतरिम आवश्यकता
TENTATIVE REQUIREMENT FOR MANPOWER OUTSOURCING SERVICES

निम्नलिखित अस्थायी कर्मियों (श्रेणीवार) को द्वितीय पक्ष द्वारा आवश्यकतानुसार प्रदान किया जाना है:/The following tentative personnel (category wise) as per requirement are to be provided by the second party:

स्थान/Place	क्र.सं./ Sl. No.	कार्यों की प्रकृति/Nature of works	श्रमशक्ति/ Manpower	तकनीकी विनिर्देश /Technical Specification	देय मजदूरी/ wages payable
भा.वा.अ.शि.प.-वन उत्पादकता संस्थान, लालगुटवा, एनएच -23 रांची गुमला रोड, रांची - 835303 (झारखंड) / ICFRE-Institute of Forest Productivity, Lalgutwa, NH -23 Ranchi Gumla Road, Ranchi - 835303 (Jharkhand)	1.	स्वीपर/Sweeper (कार्यालय कक्ष, कार्यालय परिसर और शौचालय की सफाई/Office Rooms, Office premises & Washroom cleaning)	03	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: N/A • Other Qualification: N/A • Gender: Male/Female • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: Unskilled 	Minimum daily wages:- ₹454+EPF+ESIC as per rule.
	2.	मजदूर/श्रम/ Mazdoor/Labour (सामान्य रखरखाव, बागवानी, सीवरेज आदि/General Maintenance, Gardening, sewerage etc.)	07		
	3.	एल.एम.वी. चालक/LMV Drivers आदेशानुसार संस्थान के वाहन चलाने हेतु/ To drive the Institute's vehicle as per orders.	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: N/A • Other Qualification: Valid LMV License Holders • Gender: Male • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: skilled 	Minimum daily wages:- ₹542 +EPF+ESIC as per rule.
	4.	एच.एम.वी. चालक/HMV Drivers आदेशानुसार संस्थान के वाहन चलाने हेतु/ To drive the Institute's vehicle as per orders.	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: N/A • Other Qualification: Valid HMV Licence Holders • Gender: Male • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: Highly-skilled 	Minimum daily wages:- ₹607+EPF+ESIC as per rule.

5.	<u>कुक-कम-स्टीवर्ड/Cook-cum-Steward</u> (गेस्ट हाउस में खाना पकाना एवं परोसना /Cooking and serving foods at Guest House)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: N/A • Gender: Male • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: skilled 	Minimum daily wages:- ₹542+EPF+ESIC as per rule.	
6.	<u>डाटा एंट्री ऑपरेटर/Data Entry operator</u> (लाइब्रेरी के लिए डाटा एंट्री कार्य/Data entry works for library)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: Secondary • Other Qualification: DCA • Gender: Female • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: skilled 		
7.	<u>बिजली मिस्त्री/Electrician</u> (कार्यालय की इमारतों और संरचनाओं में विद्युत प्रणालियों की स्थापना, रखरखाव और मरम्मत करना/ To install, maintain, and repair electrical systems in buildings and structures of the office.)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: Secondary • Other Qualification: ITI Certificate Holders • Gender: Male • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: skilled 	Minimum daily wages:- ₹542+EPF+ESIC as per rule.	
8.	<u>नाइट गार्ड/ Night Guard</u> (कार्यालय परिसर में गश्त करना, साइट पर किसी भी अनियमित गतिविधियों या अनधिकृत व्यक्तियों की पहचान करना और मुख्य द्वार के लिए रजिस्टर रखरखाव/ patrolling office premises, identify any irregular activities or unauthorized persons on site & Register maintenance for Main gate) ANNEXURE-I (A)	02	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: 8th • Other Qualification: Height-160cm • Gender: Male • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: skilled 		

	9.	कुशल श्रमिक/Skilled Worker (प्राधिकरण द्वारा सौंपे गए अनुसार प्रयोगशालाओं का कार्य करना/ To perform laboratories work as per assigned by the authority.)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: 12th • Other Qualification: N/A • Gender: Male/Female • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: skilled 	
भा.वा.अ.शि.प.- वन अनुसंधान केंद्र, मांडर / ICFRE- Forest Research Centre, Mandar	10.	मजदूर/श्रम/ Mazdoor/Labour (सामान्य रखरखाव, बागवानी, सीवरेज आदि/General Maintenance, Gardening, sewerage etc.)	01	<ul style="list-style-type: none"> • Education Qualification: N/A • Other Qualification: N/A • Gender: Male/Female • Experience: 0 to 3 years • Skill Category: Unskilled 	Minimum daily wages:- ₹454+EPF+ESIC as per rule.
भा.वा.अ.शि.प.- पर्यावरण अनुसंधान केंद्र, सुकना, दार्जिलिंग, प.बं. / ICFRE- Environment Research Station, Sukna, Darjeeling, W.B.	11.	मजदूर/श्रम/ Mazdoor/Labour (सामान्य रखरखाव, बागवानी, सीवरेज आदि/General Maintenance, Gardening, sewerage etc.)	02		

नोट/ Note:

(ए) कार्य-समय और कार्य-पारी प्रचलित श्रम कानून के अनुसार होंगी ।

a) Timings & shifts will be in accordance with the prevailing labour law.

(बी) अनुमानित श्रमिकों और सुरक्षा श्रमिकों की आवश्यकता को समय-समय पर और बजट उपलब्धता के अनुसार बदला जा सकता है ।

b) Estimated manpower & NIGHT GUARD requirement may vary from time to time as per the need and as per budget availability.

(सी) न्यूनतम मजदूरी, मुख्य श्रम आयुक्त, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दरों के अनुसार होगी । निविदा दर निर्धारित न्यूनतम दरों से de होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी ।

(c) Minimum Wages will be compatible with the rates prescribed by the Chief Labor Commissioner, Ministry of Labor and Employment, Government of India, New Delhi. (As per Annexure 1-B). Tender will not be accepted if the rates quoted will be lower than the minimum prescribed rates.

(डी) वाहन चलाने वाले व्यक्ति (वाहन चालक) के पास मोटर व्हीकल एक्ट अधिनियमानुसार वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए ।

(d) The person driving the vehicle (driver) should have a valid driving license as per Motor Vehicle Act.

(इ) प्रथम पक्ष के परामर्श से ठेकेदार द्वारा विशेष रूप से भारत सरकार के योग्यता मानदंडों के अनुसार कुशल/अर्धकुशल/लिपिकीय श्रेणी के कर्मियों के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षित कर्मियों को प्रदान किया जाएगा।

(e) In consultation with the first party Well versed personnel shall be provided by the contractor specially for skilled/semi-skilled/clerical category of personnel as per qualification norms of Government of India.

सामान्य निबंधन एवं शर्तें /GENERAL TERMS AND CONDITIONS

भा.व.आ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान, राँची में 'श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाएं- डेली वेजेस के आधार पर' के अनुबंध के निबंधन और शर्तें ।

Terms and conditions of the contract for 'Manpower Outsourcing Services- DAILY WAGES BASIS' at ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, Ranchi.

1) - भा.व.आ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान, राँची में 'श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाएं- डेली वेजेस के आधार पर' के अनुबंध हेतु निदेशक, भा.व.आ.शि.प- वन उत्पादकता संस्थान, राँची की ओर से निविदाकर्ताओं से ई-निविदाएं (2 बिड सिस्टम में) GeM portal पर आमंत्रित की जाती है। ठेके के नियम और शर्तें जो किसी भी अनुबंध को नियंत्रित करेगा, वे अनुबंध पर लागू अनुबंध की सामान्य शर्तों में निहित हैं और विशेष नियम और शर्तें निविदा दस्तावेज और इसके अनुसूची में विस्तृत रूप से दिये गए हैं। यदि आप दस्तावेज में बताई गई अस्थायी आवश्यकताओं के अनुसार अपेक्षित सेवा प्रदान करने की स्थिति में हैं, तो कृपया आप अपेक्षित निविदा बोली (बिड) प्रारूप में अपनी दरें प्रस्तुत करें।

E-tenders (in 2 bid system) are hereby invited on GeM portal on behalf of the Director, ICFRE- Institute of Forest Productivity, Ranchi for the contract of '**Manpower Outsourcing Services- ON DAILY WAGES BASIS**' at ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi. The terms and conditions of the contract which will govern any contract made are those contained in the General conditions of contract applicable to the contracts and the special terms and conditions are detailed in the tender document and its schedules. Please submit your rates in the required bid format if you are in a position to furnish the requisite services in accordance with the tentative requirements stated in the document.

2) - जमा बयाना राशि (ई.एम.डी.) रु. 64,291/- (चौंसठ हजार दो सौ इक्यानवे रुपये) मात्र राँची में देय "निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान, राँची." के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जमा किया जाना चाहिए। बयाना राशि (ई.एम.डी.) के रूप में जमा की गई डीडी राशि और तारीख को अंकित करते हुए लिफाफे के शीर्ष पर विवरण को वर्णित किया जाए। यह ई.एम.डी. राशि ऑनलाईन निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम दिनांक के पूर्व डाक द्वारा इस संस्थान तक पहुंच जानी चाहिए। यदि निविदा के साथ बयाना राशि जमा नहीं की जाती है तो निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा। वैध पंजीकरण प्रमाणपत्र (अर्थात् एम.एस.एम.ई इत्यादि) प्रस्तुत करने पर फर्मों/एजेंसियों/सोसाइटियों/व्यक्तियों आदि को शासकीय नियमों के अनुसार ईएमडी जमा करने से छूट दी जाएगी। वार्षिक निविदा मूल्य लगभग रुपये 32,14,536/- (बत्तीस लाख चौदह हजार पाँच सौ छत्तीस रुपये मात्र) है।

EMD- An earnest money of Rs. 64,291/- Sixty Four Thousand Two Hundred And Ninty One Rupees must be deposited in the form of Demand Draft (DD) in favour of “**Director, Institute of Forest Productivity**” payable at Ranchi. The particulars of the earnest money deposited are superscribed on the top of the envelope by indicating the DD amount and date. This EMD should reach this institute **by post only** before last date of online submission of tender. The tenders will not be considered if earnest money is not deposited with the tender. Firms/agencies/societies/individuals etc. will be exempted from submitting EMD as per Govt. norms subject to the submission of valid registration certificate (viz. MSME etc.). **Annual Tender cost is approx. Rs 32,14,536 /-**

3) - **निष्पादन सुरक्षा जमा राशि:** अनुबंध के लिए निष्पादन सुरक्षा जमा राशि चयनित एजेंसी सफल बोलीकर्ता द्वारा संस्थान से सूचना प्राप्त होने के बाद समझौते के साथ निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान राँची के पक्ष में **Rs 96,436/- छियानबे हजार चार सौ छत्तीस रुपये** मात्र का बैंक ड्राफ्ट द्वारा सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा। निष्पादन सुरक्षा राशि जमा न करने की स्थिति में, बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदा आबंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

Performance Security Deposit: Performance security deposit Of **Rs 96,436/- (Ninty-Six Thousand Four Hundred And Thirty Six)** only in the form of bank draft, is to be deposited in favour of “**DIRECTOR,INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY**” payable at Ranchi by the successful bidder along with the agreement after receiving a communication from the Institute. In the event of non-deposition of the same, the earnest money (EMD) of the successful bidder will be forfeited and the award will be cancelled.

4) -जिस समझौते के साथ करार होगा, उसे निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के बीच एक समझौता माना जाएगा इसके बाद इसे **प्रथम पार्टी** के रूप में जाना जाएगा और तदनंतर सफल निविदाकर्ता / ठेकेदार / सेवा प्रदाता को **दूसरे पार्टी** के रूप में जाना जाएगा।

The agreement that will be met with shall be deemed to be an Agreement between the Director, Institute of Forest Productivity, Ranchi hereinafter known as **first party** and successful tenderer /Contractor/ Service provider hereinafter known as **second party**.

5) दूसरे पक्ष को अनुबंधित कार्यों को संतोषजनक रूप से करना होगा।

That the second party shall execute/perform the contracted works by satisfaction.

6) - दूसरे पार्टी को प्रभारी, सम्पत्ति अनुभाग या किसी अन्य अधिकारी जिन्हे इस प्रयोजन के लिए निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के प्राधिकारी के रूप में संदर्भित किया हो, उस प्राधिकारी से निर्देश प्राप्त करना होगा।

The second party shall seek instructions from the In-charge Estate Section or any other officer authorized by the Director, ICFRE-Institute of Forest Productivity for the purpose, hereinafter

referred to as the ICFRE- Institute of Forest Productivity authority.

7)- दूसरे पार्टी को देय दर करार में सहमत हुए अनुसार ' **श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाओं-डेली वेजेस के आधार पर** ' के लिए तैनात किये जाने वाले कर्मचारी यथा रात्रि प्रहरी, एल.एम.वी/ एच.एम.वी. चालक, और रसोइया आदि को काम की प्रकृति के अनुसार अकुशल, अर्ध-कुशल या कुशल माना जाएगा । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के तहत कर्मिकों के श्रेणियाँ को सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दूसरे पार्टी की होगी कि, उनके द्वारा काम पर लगाये कर्मी किस श्रेणी मे है । किसी भी समय, **श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार,** द्वारा संबंधित श्रेणी के कर्मी को निर्धारित एवं समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी दर से कम भुगतान नहीं किया जाएगा। दूसरे पार्टी द्वारा प्रति माह उनके द्वारा प्रस्तुत किये दरों के अनुसार बिल बनाकर भुगतान हेतु भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची को प्रस्तुत करना होगा। **आवश्यकता के आधार पर अपेक्षित कर्मियों की संख्या घटाई या बढ़ाई जा सकती है ।** संस्थान में उस महीने का बिल जमा करने से पहले (अदायगी हेतु) दूसरी पार्टी यह भी सुनिश्चित करेगी कि, उनके द्वारा काम पर लगाये हुए कर्मी की पिछले माह की मजदूरी/वेतन माह समाप्ति के 7वें दिन या उससे पूर्व बैंक के माध्यम से उनकी ओर से पहले भुगतान किया गया हो । पहली पार्टी दूसरे पक्ष के खिलाफ उनके तैनात कर्मियों को मजदूरी के देर से संवितरण पर आवश्यक कार्रवाई कर सकती है । सेवा प्रदाता पर 500/- रुपये प्रति दिन का जुर्माना लगाया जा सकता है यदि उनके द्वारा तैनात कर्मियों को वेतन अगले महीने के 7वें दिन के बाद वितरित किया जाता है। ठेकेदार को समय पर कर्मियों की मजदूरी/वेतन देने के लिए अपने पास पर्याप्त चल निधि रखनी चाहिए ।

The rates payable to the second party as agreed for personnel to be deployed viz., staff for '**Manpower Outsourcing Services- ON DAILY WAGES BASIS**' will be treated as unskilled, semi-skilled or skilled as per the nature of works viz. NIGHT GUARD, LMV driver, plumber, carpenter, cook etc. within the meaning of Minimum Wages Act, 1948. It shall be the responsibility of the second party to ensure that the categories of personnel as the case may be deployed by him, at no point of time, will be paid less than the minimum rates of wages as prescribed by the **Ministry of Labour & Employment, Govt. of India,** and revised from time to time for the respective categories. Bill shall be raised every month by the second party in accordance with the rates quoted and submitted for payment to the ICFRE- Institute of Forest Productivity authority. **The number of categories of personnel required may vary subject to the requirements.** The second party will also ensure that the personnel deployed by him are paid the wages/salaries through bank for the month from their side on or before the 7th day of the subsequent month before submitting bill (for reimbursement) for payment in the institute. The first party may take necessary action against the second party on late disbursement of wages to their deployed personnel. The penalty of Rs. 500/- per day may be imposed on the service

provider if wages to their deployed personnel are disbursed after 7th day of the subsequent month. The contractor must keep sufficient liquidity to fulfill this condition.

8 - भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के अधिकारी विभिन्न इ्यूटी शिफ्ट तय करेंगे । एक एकल इ्यूटी शिफ्ट में बिना अंतराल के आठ घंटे की सामान्य अवधि होगी।

The ICFRE- Institute of Forest Productivity authority shall fix timings of the various duty shifts. A single duty shift will have a normal duration of 8 (eight) hours without rest intervals.

9- दूसरी पार्टी को काम की पारी शुरू करने से पहले तैनात कर्मियों के श्रेणियों की पाक्षिक इ्यूटी चार्ट भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । उनको पिछले कार्य-दिवस पर उपस्थित कर्मियों की दैनिक उपस्थिति-पत्रक को भी भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । उनके द्वारा तैनात कर्मियों को मजदूरी का भुगतान करते समय "नो वर्क- नो पे" के सिद्धांत का पालन करना होगा ।

The second party shall submit **fortnightly** duty chart of the categories of personnel to the ICFRE- prior to commencement of it. He shall also submit the daily attendance sheet of the personnel for the previous working day. The principle of "No Work- No Pay" shall be followed while making payment of wages to the personnel deployed by him.

10- तैनात किए गए सभी कर्मियों का पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण के साथ पूर्ण विवरण भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष दूसरे पार्टी द्वारा प्रस्तुत करना होगा । यदि भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची को पूर्व सूचित किये बिना कोई कर्मी तैनात किया हुआ पाया जाता है, तो ऐसे कर्मियों के मजदूरी/वेतन भुगतान के लिए वन उत्पादकता संस्थान, राँची उत्तरदायी नहीं रहेगा । सेवा प्रदाता द्वारा उपलब्ध कराये गए सभी श्रमिक स्वस्थ होने चाहिए और किसी भी संक्रामक रोगों से पीड़ित नहीं होने चाहिए । सेवा प्रदाता को चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए श्रमिकों के फिटनेस प्रमाण पत्र समय-समय पर भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष प्रस्तुत करना होगा ।

Full particulars of all the personnel to be deployed shall be given to the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY along with their police verification certificate and medical certificate by the second party. In case any personnel found to be deployed without the previous knowledge of the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY shall not be liable to pay for such personnel. All workers provided by the service provider should be healthy and not suffering from any contagious diseases. The service provider shall furnish fitness certificate of the workers periodically issued by the medical officer.

11.- ठेके के आधार पर काम पर तैनात किये जाने वाले कर्मियों की किसी भी किस्म की छुट्टी . भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा संस्वीकृत नहीं की जाएगी । काम पर तैनात कर्मों की अनुपस्थिति की स्थिति में, अन्य कर्मों तैनात करने की व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व दूसरी पार्टी का होगा। यदि वह एक एवजी कर्मों उपलब्ध कराने में विफल रहता है, तो अनुपस्थित कर्मचारी/विशेष श्रेणी की दोगुना मजदूरी, ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत बिल से अर्थदंड (पेनालिटी) के रूप में काटा जाएगा । **यदि किसी कार्मिक विशेष को भा.वा.अ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा काम पर अनुपस्थित रहने का अभ्यस्त, अथवा वह कार्मिक लगातार 5 दिवस काम पर अनुपस्थित पाया जाता है तब ठेकेदार को उन कार्मिक के एवज में दूसरे कार्मिक को उपलब्ध करवाया जाना होगा । यदि वह कार्मिक काम के प्रति बार-बार लापरवाही बरतता है, तो ठेकेदार द्वारा उस कर्मों को काम से हटा कर एवजी कर्मों काम पर तैनात करना होगा । ठेकेदार को पूरे सप्ताह के दिन भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा निर्दिष्ट किये हुए सभी चेक पोस्ट, अन्य सुरक्षा -चौकी एवं अन्य स्थानों की निगरानी तथा सुरक्षा उपायों का रखरखाव करना होगा । जब तक कि ठेकेदार बिना किसी अतिरिक्त भुगतान के उपयुक्त एवजी कार्मिक उपलब्ध नहीं करता, तब तक तैनात सुरक्षाकर्मियों (रात्रि प्रहरी) को किसी अल्पावधिक अवकाश पर रवाना होनी की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी । ठेकेदार पर्याप्त संख्या में अवकाश आरक्षित भी उपलब्ध कराएगा। एक दिन में एक ही कर्मों द्वारा दो पारियों में कर्तव्य निर्वहन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । हालाँकि, आकस्मिक स्थिति में, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची की पूर्व स्वीकृति उपरान्त सामान्य पारी के लिए लागू सामान्य दर की भुगतान पर एक कर्मों को अतिरिक्त पारी में विस्तारित किया जा सकता है ।**

No leave of any kind to the personnel shall be sanctioned by the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY authority. The second party shall be liable to make substitute arrangements in case of the absence of the personnel. If he fails to provide a substitute, double the wages of particular category of absentee worker is deducted in the form of penalty from the bill put up by the contractor for payment. **If a particular personnel is found habitual of being absent by ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY or if he is absent for continuous 5 days or more, then the contractor should provide the substitute in place of him. If he repeats the same negligence again and again, then the contractor should terminate him by providing the substitute.** The Contractor shall manage all the security check posts and other locations as specified by the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY on all the week days. No short leave shall be permitted to the security personnel (NIGHT GUARD) unless the Contractor provides suitable substitute without any extra payment. The contractor shall provide sufficient number of leave reserves also. Performance of duty in two shifts by the same personnel in a day shall not be permitted. However, in an emergent case exception can be made with the prior approval of the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY authority to the extent of one person in any one of the shifts but the payment to such a person for the extra shift shall be at the rates applicable for normal shifts.

12. - दूसरी पार्टी को उन सभी सुरक्षा में नियोजित चौकीदारों की निर्धारित परिधान की व्यवस्था करनी होगी और तैनात कर्मियों को भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची संस्थान में पदस्थ पदाधिकारी एवं आगंतुकों के साथ अच्छा व्यवहार बनाये रखना सुनिश्चित करना होगा। उन्हें किसी संस्थान के कर्मचारी संघ के किसी भी गतिविधियों में भाग लेने से परहेज करना होगा। दूसरी पार्टी को तैनात कर्मियों के पोशाक के रूप में ऊनी कपड़े उपलब्ध करना होगा जो कर्मियों की श्रेणियों के लिए उपयुक्त हो और जो सर्दियों के मौसम में जरूरी यूनिफार्म समान हो। दूसरी पार्टी को यह सुनिश्चित करना होगा कि, बरसात के मौसम के दौरान कर्मियों को छातों के साथ रेनकोट दिया जाए। सुरक्षात्मक उपाय के रूप में घुटने की लंबाई तक लंबे रबर के जूते, दस्ताने आदि वस्तुएं आवश्यकता के अनुसार दूसरी पार्टी द्वारा कर्मी-श्रेणियों को प्रदान किया जाना होगा। यदि कोई कर्मी अपने कर्तव्य में उदासीन या उचित वर्दी में नहीं होने की शिकायत पाई जाती है तो प्रत्येक शिकायत का **₹. 1000 /-** (एक हजार मात्र) जुर्माना ठेकेदार को देना होगा।

(i) आगंतुकों, वाहनों, आदि की विशेष रूप से प्रविष्टियाँ करने के लिए सुरक्षा जांच स्थल पर ड्यूटी चार्ट और रजिस्टर लिखने के लिए प्रदान की जाने वाली लेखनसामग्री (उपयोग किए गए और उपयोग में आने वाले रजिस्टर्स) भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची की संपत्ति होंगी।

(ii) सभी तैनात सुरक्षा कर्मियों के लिए मोबाइल फोन या वॉकी-टॉकी दूसरे पक्ष द्वारा उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सभी मोबाइल काम करने की स्थिति में होना चाहिए और प्रथम पक्ष के सुरक्षा अधिकारी को सूचित किया जाना चाहिए।

The second party shall arrange dress for all categories of personnel which require uniforms on duty and ensure their good behaviour with ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY establishment and visitors. The second party shall provide as a part of dress, appropriate woolen garments to the categories of personnel which require uniform in the winter season. The second party shall ensure that during rainy season raincoat is given to the personnel along with umbrellas. Long rubber shoes up to knee length, gloves etc. items as protective measures and as per requirement should be provided by the second party to the categories of personnel. If at any point any personnel is found indifferent in his duty or not in proper uniform, a sum of **Rs. 1000/- (One thousand only)** shall be fined to the contractor for each complaint.

(i) Stationary to be provided specifically for writing duty charts and registers at the security check points for making entries of the visitors, vehicles, etc. The register (used and those in use) will be property of the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY.

(ii) Mobile phone or walky-talky for all deployed security personnel should be provided by second party. All the mobile nos. should be in working condition & informed to security officer of first party.

13- ठेकेदार द्वारा तैनात सभी श्रेणियों के कर्मियों / पर्यवेक्षक को भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा अपने रिहायशी परिसर में कोई भी आवास या विभागीय परिवहन प्रदान नहीं किया जाए गा । संस्थान परिसर के अंदर किसी भी स्थान पर दूसरे पक्ष के कर्मियों को कोई खाना पकाने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

The ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY shall not provide any residential accommodation or departmental transport to the categories of personnel/supervisor deployed by him. No cooking or lodging shall be allowed to the second party's personnel at any place inside the campus.

14- भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची कर्मियों के कर्तव्य स्थान को बदलने का अधिकार रखता है । भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची तैनात कार्मिक विशेष को प्रतिस्थापन करने के लिए दूसरी पार्टी को मांग का अधिकार रखता है । The ICFRE- Institute of Forest Productivity authority reserves the right to change the place of duty of personnel. The ICFRE- Institute of Forest Productivity authority also reserves the right to ask for replacement of particular personnel deployed by the second party.

15- दूसरी पार्टी द्वारा तैनात कर्मियों को भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा जारी किये जाने वाले विभिन्न अनुदेशों एवं संबिधित समान्य अनुशासन एवं आचरण प्रणाली नियमावली का पालन करने हेतु बाध्य होना होगा ।

The personnel deployed by the second party shall be bound to observe all instructions issued by ICFRE- Institute of Forest Productivity authority concerning general discipline and behaviour.

16- सभी प्रयोजनों और उद्देशों के लिए दूसरी पार्टी "नियोक्ता" होगी जो उसके द्वारा तैनात कर्मियों की श्रेणियों के संबंध में सभी श्रम विधानों के अर्थ में होगी ।

That for all intents and purposes the second party will be "Employer" within the meaning of all labour legislations in respect of the categories of personnel so deployed by him.

17- प्रथम पक्ष के परामर्श से दूसरा पक्ष इस अनुबंध के उद्देश्य के लिए कर्मियों की भर्ती के लिए जिम्मेदार होगा और उसके द्वारा भर्ती और तैनात किए गए कर्मियों की श्रेणियां उसके सीधे नियंत्रण/पर्यवेक्षण के अधीन होंगी। हालांकि, उन्हें संस्थान के अधिकृत अधिकारी द्वारा समय-समय पर दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा और तदनुसार अपने कर्मचारियों को बिना किसी समस्या के कुशलतापूर्वक और सुचारू रूप से अपना कर्तव्य निभाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने होंगे। ठेकेदार के कर्मचारियों को कार्यालय के समय, कर्तव्य, नियुक्ति, स्थान और संस्थान के परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए बाध्य होना चाहिए।

The second party in consultation with the first party shall be responsible for recruitment of the personnel for the purpose of this contract and categories of personnel so recruited and deployed by him shall be under his direct control/supervision. However, they shall comply with all instructions given to him by the authorized Officer of the Institute from time to time and accordingly issue necessary instructions to their workmen to carry out their duty efficiently and smoothly without creating any problem. The Staff of the Contractor must be bound by office timing, duty, placement, locations, and maintaining discipline in the Institute's premises.

18- दूसरी पार्टी द्वारा तैनात कार्मिक वर्ग, यदि, कर्तव्य में चूक, कदाचार या अनुशासनहीनता या कर्तव्य में लापरवाही, बरतता है तो

, उसके लिए दूसरी पार्टी उत्तरदायी होगी और कर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार होगी, जिसमें निलंबन, सेवा से बर्खास्तगी आदि शामिल है। इस तरह की कार्रवाइयों से उत्पन्न होने वाले परिणामों को पूरी तरह से दूसरे पक्ष द्वारा निपटाया जाएगा।

In case the categories of personnel deployed by the second party commits any act of omission or commission constituting their /his misconduct or indiscipline or negligence of duty, the second party will be liable and responsible to take disciplinary action against the personnel, including suspension, dismissal from service. etc. Consequences arising out of such actions would be dealt solely by second party.

19 - दूसरी पार्टी द्वारा तैनात कर्मियों को यदि कर्तव्य निर्वहन करते समय अगर कोई चोट लग जाती है या मृत्यु हो जाती है, तो उन चोट या मृत्यु की वित्तीय या और अन्य कोई क्षतिपूर्ति के लिए भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची उत्तरदायी नहीं होगा।

The ICFRE- Institute of Forest Productivity shall not be responsible financially or otherwise for any injury or death to the categories of personnel in the course of their performing the duties.

20- दूसरी पार्टी को इस अनुबंध में दिये गये अधिकार और दायित्वों को किसी अन्य व्यक्ति या संगठन को स्थानांतरित करने या सौंपने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

The second party shall not be permitted to transfer or assign his rights and obligations under this contract to any other person or organization.

21- समय अनुबंध का सार होगा और इस अनुबंध की अवधि एक वर्ष के लिए होगी जो कि एक वर्ष पूरा होने पर स्वतः समाप्त हो जाएगी। आवश्यकता के अनुसार ठेकेदार के प्रदर्शन तथा उसके पूर्व सेवा प्रभार/लाभ मार्जिन निबंधन एवं शर्तों पर सहमति होने पर ठेके की कार्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। Time shall be the essence of the contract and the duration of this contract shall be for a period of one year which will automatically expired on completion of one year. The term of contract may be extended with mutual consent for further period subject to the requirement and performance of the contractor.

22- ठेकेदार ठेके को अवधि समाप्ति पूर्व ठेका समाप्त करने चाहने पर उनको तीन माह पूर्व निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची को नोटिस देना होगा तब, दूसरे रैंकिंग L2 बिडर को निविदा प्रस्ताव दिया जाएगा या नयी निविदा करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

In the event of the Contractor desiring an earlier termination of the contract, contractor shall have to give three months advance notice to the Director, ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY and then the offer will be made to next ranking bidder L2 & so on or else resorting to the process of appointing a fresh contractor.

23- ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई सेवाएं संतोषजनक न होने पर, किसी भी समय बिना कोई कारण बताये एक माह पूर्व ठेकेदार को एक नोटिस देकर ठेके को समाप्त कर फिर अगले (रैंकिंग) श्रेणी के बोलीकर्ता / बिडर यानी L2 ठेकेदार को ठेके का प्रस्ताव देने का या नयी निविदा करने का पूर्ण अधिकार निदेशक के पास है।

The Director has absolute right to terminate the contract at any time before the due date of expiry on non-satisfactory services provided by the contractor without assigning any reason by giving one month's notice in advance to the contractor in writing. Then offer will be given to the next ranking bidder i.e. L2 or the process for new tender will be initiated.

24- दूसरी पार्टी, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष निविदा दस्तावेज प्रस्तुत करते समय या किसी अन्य समय पर प्रस्तुत किये विवरण एवं निविदा दस्तावेज पर निविदा प्रस्ताव पालन के लिए बाध्य है। यदि उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए ऐसे दस्तावेजों का कोई भी विवरण किसी भी स्तर पर गलत पाया जाता है, तो उसे ठेके की शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा, जो कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाता है एवं अगले रैंकिंग बोलीदाता यानी L2 ठेकेदार को ठेके का प्रस्ताव दिया जा सकता है।

The second party is bound by the details and documents as furnished by him to the ICFRE-ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY while submitting the tender or at any other time. In case any details of such documents furnished by him is found to be false at any stage this would be deemed to be a breach of the terms of contract making him liable for action and the offer may be given to the next ranking bidder i.e. L2.

25- समझौते की अनुबंध की शर्तों में से किसी के उल्लंघन के मामले में, दूसरे पार्टी की परफॉर्मेंस सिक्योरिटी डिपॉजिट पहली पार्टी द्वारा जब्त करने के लिए उत्तरदायी है। पहली पार्टी के खिलाफ किसी भी राशि, जिसे दूसरी पार्टी भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची को दे सकती है, अनुबंध के तहत उसे वापस की जाने वाली सुरक्षा जमा सहित दूसरे पक्ष को देय या देय किसी भी राशि का भुगतान कर सकता है।

In case of breach of any of the terms of agreement, the security deposit of the second party is liable to be forfeited by the first party. The first party against any amount, which the second party may owe to the ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, can appropriate any sum of money due or payable to the second party including the security deposit refundable to him under the contract.

26 - दूसरी पार्टी द्वारा नियोजित सभी कर्मियों द्वारा भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची परिसर में कहीं भी किसी भी आग को बुझाने में पूरी मदद करने के लिए बाध्य होंगे।

All personnel employed by the second party shall be bound to provide full help in extinguishing any fire that breaks out anywhere in the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY campus.

27- दूसरी पार्टी या उसके कर्मियों की ओर से भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची कर्मचारी /अधिकारी या अन्य के साथ अभद्रता, अनुशासनहीनता या किसी भी कदाचार करने पर, उसके लिए वे ठेके का अनुबंध समाप्त होने के लिए उत्तरदायी होंगे।

In the event of any malpractice on the part of the second party or his personnel, vis-à-vis any ICFRE- Institute of Forest Productivity staff or otherwise, the contract shall be liable to be terminated.

28- अनुबंध के तहत सेवाओं के कार्य-निष्पादन की हर माह प्रमुख, सुविधाएं और सेवाएं / प्रभारी अनुभाग संपदा या निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा अधिकृत किसी दूसरे अधिकारी द्वारा समीक्षा की जाएगी और समीक्षा के दौरान, दूसरी पार्टी को व्यक्तिगत रूप से या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि को मौजूद रहना होगा। समीक्षा हेतु दिनांक एवं समय पहली पार्टी द्वारा तय किया जाए गा।

The performance of services under the contract will be reviewed by the **Head, Facilities & Services / In-charge Estate & Security Section or any other officer authorized by the Director**, ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY every month and the second party will remain present personally or through an authorized representative. Date and time will be decided by the first party.

29- विभिन्न करों की कटौती शासकीय प्रचलित दरों के अनुसार की जाएगी।

Taxes will be deducted at the applicable rates as per Govt. norms.

30 - दूसरी पार्टी, ठेकेदार द्वारा प्रदान किये जाने वाले **₹.500/- के या सरकारी नियमानुसार** गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर पहली पार्टी के साथ नोटरीकृत समझौते को निष्पादित करेगी।

The second party will execute a notarized agreement with the first party on non-judicial stamp paper worth **Rs.500/- or as per Govt. rule** to be provided by the contractor.

31- दूसरी पार्टी, अगर किसी भी तरीके से कार्य-निष्पादन में चूक होती है या किसी नुकसान को भरपाई करने में, या खर्च या उसके किसी भाग को बनाने आदि में चूक करते हैं, अर्थदंड या उक्त सुरक्षा जमा का निपटान और दूसरे पार्टी के दायित्व को परिसमापन करना संस्थान के लिए कानून सम्मत होगा। इसके अलावा आगे यदि, संस्थान को किसी भी मौद्रिक नुकसान में डाल दिया जाता है, या ठेकेदार, उनके द्वारा तैनात किये कार्मिक से चूक या दलाली लिये जाने का पाया जाता है, तो संस्थान को बिलों और / या सुरक्षा

जमा से बाहर देयता या हानि की प्रतिपूर्ति कर लेने का अधिकार होगा ।

The second party, if in any manner defaults in the performance or in making good any losses, damages or expenses or any part thereof, then it shall be lawful for the Institute to forfeit or dispose of said security deposit in and towards the liquidation of liability of the second party in respect of such default. Further in case the Institute is put to any monetary loss or liability as result of any act of omission or commission of the contractor or personnel employed by him, the Institute shall have the right to get it reimbursed to the extent of the liability or loss out of the bills and /or the security deposit.

32- निविदाकर्ता को राज्य/केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों/पीएसयू में ऐसी सेवाएं प्रदान करने में कम से कम 3 वर्षों या अधिक वर्षों के संतोषजनक प्रदर्शन/अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए ।

The Tenderer should submit satisfactory performance/experience certificate for the 3 years or more in providing such services/work in State/ Central Govt. establishment/PSUs.

33.- कुशल / अर्ध-कुशल / लिपिक वर्ग में तैनात कर्मियों की श्रेणियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित होना चाहिए । The categories of personnel deployed in the skilled/semi-skilled/clerical category should be well trained.

34 -बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत निविदाओं के मूल्यांकन के लिए समय-समय पर परिचालित भारत सरकार के मानदंडों का पालन किया जाएगा।

Govt of India norms circulated time to time will be followed for evaluation of tenders submitted by the bidder.

35- निविदाकर्ता को उसकी ओर से निर्धारित शर्तों पर विचार करने के लिए निविदाएं देने की अनुमति दी जा रही है कि अपना निविदा प्रस्तुत करने के बाद, वह अपने प्रस्ताव से नहीं हटेगा या इसके नियमों और शर्तों को संशोधित नहीं करेगा। यदि निविदाकर्ता पूर्वगामी स्थिरीकरण का पालन करने में विफल रहता है, तो संस्थान द्वारा ईएमडी की उपरोक्त राशि को जब्त कर लिया जाएगा । निविदाकर्ता के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किए जाने की स्थिति में (यानी असफल निविदाकर्ता), निविदाकर्ता द्वारा जमा की गई प्रतिभूति धनराशि को उसको आवेदन करने के बाद, संस्थान द्वारा निर्धारित तरीके से और सफल निविदाकर्ता द्वारा शुरू किए गए अनुबंध कार्य की तारीख से 90 दिनों के भीतर वापस कर दी जाएगी।

The tenderer is being permitted to give tenders in consideration of the stipulations on his part that after submitting his tender, he will not resile from his offer or modify the terms and conditions there of. If the tenderer fail to observe and comply with the foregoing stipulation the aforesaid amount of EMD will be forfeited by the Institute. In the event of the offer made by the tenderer not being accepted, the amount of earnest money deposited by the tenderer will be refunded to him (i.e unsuccessful tenderer) after he has applied for the same, in the manner

prescribed by the Institute and within 90 days from the date of the contract work commenced by the awardee (successful tenderer).

36- यदि आवश्यक पूरी जानकारी नहीं दी गई है या यदि निविदाओं में अनुसूची में विशेष रूप से पूछा गया है तो निविदाओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निविदा पर हस्ताक्षर करने वाले या अनुबंध से जुड़े अन्य दस्तावेजों में-हस्ताक्षर करने वाले को स्पष्ट करना होगा कि वे किस क्षमता से हस्ताक्षर करते हैं।

(I) फर्म के एक मात्र स्वामी या फर्म के वकील

(II) फर्म का एक साझेदार यदि यह साझेदारी फर्म हो तो उस स्थिति में उसे साझेदारी के व्यवसाय से संबंधित मध्यस्थता विवाद का उल्लेख करने का अधिकार होना चाहिए चाहे साझेदारी समझौते के आधार पर या वकील की शक्ति या

(III) यदि कंपनी है तो फर्म का अटॉर्नी ।

The tenders are liable to be ignored if complete information as required is not given therein or if the particular asked for in the schedules to the tenders is not fully filled in. Individual signing the tenders or other documents connected with the contract may specify whether he signs it in the capacity of

I. A sole proprietor of the firm or constituted attorney of such sole propriety or

II. A partner of the firm if it be partnership in which case he must have authority to refer to arbitration dispute concerning the business of the partnership whether by virtue of the partnership agreement or power of attorney or

III. Constituted attorney of the firm if it is a company.

37 - यदि सफल निविदाकर्ता संस्थान द्वारा निर्धारित समय के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है, तो किए गए प्रस्ताव को बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जाएगा और जमा बयाना धन राशि (EMD) जब्त कर लिया जाएगा । If successful tenderer does not accept the offer within the time prescribed by the institute the offer made shall stands cancelled without any notice & Earnest Money Deposit (EMD) will be forfeited.

38 - साझेदारी फर्मों के मामले में, जहां साझेदारी के व्यवसाय से संबंधित अनुबंध / समझौते को निष्पादित करने के लिए किसी भी भागीदार को कोई अधिकार नहीं दिया गया है, निविदाओं और अन्य सभी संबंधित दस्तावेजों को फर्म के प्रत्येक भागीदार द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए । निविदा प्रपत्र या किसी अन्य की ओर से अनुबंध का हिस्सा बनाने वाले किसी अन्य दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को वारंटी पर विचार किया जाएगा कि उसके पास इस तरह के दूसरे को बांधने का अधिकार

हैं और यदि, जांच पर यह प्रतीत होता है कि हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। संस्थान अन्य नागरिक और आपराधिक उपायों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना अनुबंध को रद्द कर देगा और सभी लागतों और क्षति के लिए हस्ताक्षरकर्ता को उत्तरदायी ठहराएगा।

In case of partnership firms, where no authority has been given to any partner to execute the contract/agreement concerning the business of the partnership, the tenders and all other related documents must be signed by every partner of the firm. A person signing the tender form or any other documents forming part of the contract on behalf of another shall be deemed to warranty that he has authority to bind such other and if, on enquiry it appears that the persons so signing had no authority to do so, the Institute shall without prejudice to other civil and criminal remedies cancel the contract and hold the signatory liable for all costs and damages.

39- पहले, तकनीकी बोलियां खोली जाएंगी और योग्यता मानदंडों के अनुसार तकनीकी बोलियों के मूल्यांकन के बाद, तकनीकी बोलियों में योग्य फर्मों की एक सूची पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी।

First, Technical bids will be opened and after evaluation of Technical bids in accordance with the qualifying criteria, a list of firms qualified in Technical bids will be displayed on portal.

40 - पोर्टल पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में वित्तीय बोली प्रस्तुत की जानी चाहिए। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि, तकनीकी और वित्तीय दस्तावेज एक साथ अपलोड किए जाने चाहिए।

The financial bid should be submitted in the prescribed format available on portal. It should be noted that technical and financial documents should be uploaded simultaneously.

41- योग्य तकनीकी निविदाकर्ताओं की वित्तीय बोलियां केवल निर्धारित तिथि और समय पर खोली जाएंगी।

Financial bids of qualified technical bidders only will be opened on the stipulated date and time.

42 - भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा निविदाकर्ता की सुरक्षा जमा राशि और EMD बयाना राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट अनुबंध की समाप्ति पर वापस किया जाएगा। यदि एजेंसी द्वारा कोई निपटान नहीं किया जाता है तो बकाया राशि सुरक्षा जमा से वसूल की जाएगी।

No interest on security deposit and earnest money deposit shall be paid by the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY to the tenderer. Security deposit will be refunded on expiry of the contract. Dues if any not settled by the agency will be recovered from the security deposit.

43- निविदा के चयन पर, योग्य फर्म को पोर्टल के माध्यम से खुद ब खुद सूचित किया जाएगा। हालांकि, सफल निविदाकर्ता को कार्य आबंटन पत्र भेजा जाएगा।

On selection of tender, the qualified firm will be communicated automatically through portal. However, letter of award will be sent to the successful tenderer.

44- काम के सभी शेड्यूल के लिए निविदाकर्ता को वरीयता दी जाएगी; नियम और शर्तों और अन्य सांविधिक लेवी पूर्ति सरकार के अधीन।।

Preference will be given to the tenderer quoting for all the schedules of work; subject to fulfillment of terms and conditions and other statutory Govt. levies.

45- किसी भी डिफॉल्टर फर्म/ब्लैकलिस्टेड फर्म द्वारा प्रस्तुत निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा।

Tender submitted by any defaulter firm/blacklisted firm will not be considered.

46- बोलीदाता दिशानिर्देशों के अनुसार ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने के निर्देशों का पालन करेंगे।

Bidders shall follow instructions for online Bid Submission as per the guidelines.

47- प्रदान किए गए रात्रि प्रहरी सेवाओं के उच्चतम मानकों के अनुसार और समय-समय पर लागू सभी सामग्री, परिवहन, विशेष रूप से सभी अधिनियमों और करों आदि सहित निविदा दस्तावेज में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार होने चाहिए। उन्हें आवश्यकता के अनुसार विभिन्न पालियों में वितरित किया जाएगा। वे इयूटी स्थानों और आवश्यकता के अनुसार अलग-अलग महीनों में भिन्न हो सकते हैं और भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची, के संपदा और सुरक्षा अनुभाग द्वारा तय किए जाएंगे।

NIGHT GUARDS provided should be in accordance with the highest standards of services and as per the terms and conditions specified in the Tender document including all material, transportation, specially covered all acts & taxes etc. as applicable from time to time. They will be distributed in various shifts as per the requirement. They may vary in different months depending upon the duty places and according to need and will be decided by the Estate & Security section of ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, Ranchi.

48 - दूसरे पक्ष द्वारा तैनात संविदा कर्मियों द्वारा श्रम आयुक्त के पास दायर किए जाने वाले अभ्यावेदन/शिकायतों को दूसरे पक्ष को पहले पक्ष (भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची) को शामिल किए बिना इनका निपटान स्वयं करना होगा।

The representations/complaints to be filed with Labour Commissioner by contractual workers deployed by second party, the second party has to settle these on its own without involving first party (ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY).

49- दूसरा पक्ष प्रथम पक्ष की पूर्व सहमति के बिना किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं हटा सकता या नियुक्त नहीं कर सकता है।

The second party can't terminate or appoint any employee without prior consent of the first party

50 - वाहन चालक को आउटस्टेशन दौरे हेतु नियमानुसार आकस्मिक खर्च के लिए अतिरिक्त


भत्ता देय होगा ।

Drivers will be paid additional allowance as per rules for incidental expenses for outstation tour.

51- अनुबंध के किसी भी पक्ष और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होने के लिए निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची का निर्णय अंतिम होगा । यदि कोई विवाद, हो, तो अनुबंध को आपसी विचार-विमर्श द्वारा अपने स्तर पर निपटाया जाएगा और निपटान की विफलता के मामले में, विवाद को निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा । मध्यस्थता की कार्यवाही पंचाट और संविधान अधिनियम, 1996 द्वारा शासित होगी।

Decision of the **DIRECTOR, ICFRE - Institute of Forest Productivity** shall be final for any aspect of the contract and binding to all parties. Disputes arising, if any, on the contract will be settled at his/her level by mutual consultation and in case failure of the settlement, dispute shall be referred to the sole arbitrator to be appointed by the Director, ICFRE- Institute of Forest Productivity. The decision of the sole arbitrator so appointed shall be final and binding on the parties. The arbitration proceedings shall be governed by the Arbitration & Constitution Act, 1996.

52- इस समझौते से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा कोर्ट राँची के अधिकार क्षेत्र में होगा ।
Any dispute arising out of this agreement will be settled by the Ranchi Court.


04.07.2024

डॉ० अमित पाण्डेय/Dr. Amit Pandey
(निदेशक/Director)
भा०वा०अ०शि०प०-व०उ०सं०/ICFRE-IFP, Ranchi

ANNEXURE- I (A)

भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के जिन क्षेत्रों के लिए रात्रि प्रहरी उपलब्ध किये जाना है

AREAS FOR WHICH NIGHT GUARD IS TO BE PROVIDED AT ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, RANCHI.

क्रं. सं. Sl.No	मांगी हुई सेवा का विवरण / Details of Service required	जांच-चौकी की संख्या Number of check points	आवृत्ति / Frequency
1.	मुख्य कार्यालय गेट एवं परिसर Office main gate & premises	02	रात – दिन / Round the clock

उपरोक्त जांच बिंदु सांकेतिक बिंदु हैं एवं आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। पहरा-निगरानी सेवा उपलब्ध कराने के लिए इच्छुक पार्टी, अपनी दर को उद्धृत करने से पहले संस्थान से पूर्व अनुमति लेकर कार्यालय-कार्य-समय के दौरान संस्थान के परिसर का दौरा कर सकते हैं और रात्रि प्रहरी के काम की मात्रा को सत्यापित कर सकते हैं।

The above check points are indicative points to be guarded and subject to change as per requirement. The interested parties may visit the campus and verify the quantity of NIGHT GUARD work, during institute working hours with prior permission, before quoting the rate.

ANNEXURE-I (B)

File No.1/7(1)/2024-LS-II
Government of India
Ministry of Labour & Employment
Office of the Chief Labour Commissioner(C)
New Delhi

Dated: 01/03/2024
64

ORDER

In exercise of the powers conferred by Central Government vide Notification No. S.O. 186(E) dated **19th January, 2017** of the Ministry of Labour and Employment the undersigned hereby revise the rates of Variable Dearness Allowance for the employees employed in **Agriculture** w.e.f. **01.04.2024** on the basis of the average Consumer Price Index for Industrial workers reaching 399.70 from 385.97 as on 31.12.2023 (Base 2016=100) and thereby resulting in an increase of 13.73 points. The revised Variable Dearness Allowance as under shall be payable from 01.04.2024:-

Category of worker	Rates of V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	'A'	'B'	'C'
Unskilled	164	151	149
Semi-Skilled/Unskilled Supervisory	178	164	152
Skilled/Clerical	194	178	164
Highly Skilled	214	200	178

Therefore, the minimum rates of wages including the basic rates and Variable Dearness Allowance payable w.e.f. 01.04.2024 to the employees working in Agriculture shall be as under:-

Category of worker	Rates of wages including V.D.A. Area wise per day (in Rupees)		
	A	B	C
Unskilled	333+164=497	303+151=454	300+149=449
Semi- Skilled/Unskilled Supervisory	364+178=542	335+164=499	307+152=459
Skilled/Clerical	395+194=589	364+178=542	334+164=498
Highly Skilled	438+214=652	407+200=607	364+178=542

The VDA has been rounded off to the next higher rupee as per the decision of the Minimum Wages Advisory Board.

The classification of workers under different categories will be same as in Part-I of the notification, whereas classification of cities will be same as in the Part-II of the notification dated 19th January, 2017. The present classification of cities into areas A, B & C is enclosed at Annexure I for ready reference.

Onkar Sharma

(Dr. Onkar Sharma)
Chief Labour Commissioner(C)

SPECIAL TERMS AND CONDITIONS OF THE CONTRACT

1. उपरोक्त दिये गये विवरणानुसार समस्त कार्य एवं सेवाएं प्रदान की जानी है ।

All works to be carried out and services to be provided as per the details given above.

2. यदि कोई फर्म 'निल' या 0 % रखरखाव लागत / सेवा शुल्क / लाभ मार्जिन उद्धृत करता है, तो उसकी निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी। सेवा शुल्क 3.85% से कम नहीं होना चाहिए (3% लाभ और लेनदेन शुल्क जो वर्तमान में 0.85% है) अन्यथा निविदा खारिज कर दी जाएगी। सेवा शुल्क मासिक आधार पर होना चाहिए । बोली लगाने वाले को सेवा शुल्क के लिए व्यावहारिक राशि का उद्धरण करना चाहिए अन्यथा यह माना जाएगा कि बोली लगाने वाले अपने श्रमिकों के साथ भुगतान करने में निष्पक्ष नहीं हैं और इसलिए, उनके निविदाओं को स्वीकार करने पर विचार नहीं किया जा सकता है । वित्तीय बोली में, यदि कोई बोलीदाता अव्यावहारिक रूप से कम सेवा शुल्क लगाता है, तो बोलीदाता को गैर-जिम्मेदार माना जा सकता है और उनकी निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता है । संस्थान बोलीदाता द्वारा उद्धृत सेवा शुल्क की व्यावहारिकता जानने के लिए उद्धृत सेवा शुल्क के औचित्य अवगत कराने के लिए सूचित कर सकता है । सेवा शुल्क प्रतिशत (%) में होना चाहिए । सेवा शुल्क पूरे नंबर या दशमलव संख्या में उद्धृत किए जाने हैं, बल्कि अंश में नहीं ।

इसके अलावा, अनुबंध अवधि के दौरान, यदि यह पाया जाता है कि, दूसरी पार्टी अपने लाभ के लिए अपने कर्मचारियों से कटौती या पैसा लेती हैं, और उनके खिलाफ श्रमिकों से शिकायतें प्राप्त होती हैं और यह सही पाया जाता है तो उनका अनुबंध रद्द होने के लिए वे उत्तरदायी रहते हैं और उनकी सुरक्षा जमा राशि पूरी तरह से या आंशिक रूप से जब्त करना पहली पार्टी के विवेक पर निर्भर रहता है । इसके अलावा, वह या उसकी फर्म ब्लैक लिस्टेड हो सकती है और अनुबंध अगले रैंकिंग बोलीदाता यानी L2 को दिया जा सकता है । इस संबंध में निदेशक, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान का निर्णय अंतिम और उस पर बाध्यकारी होगा ।

If firm quotes 'Nil' or 0% maintenance cost/service charge/profit margin its tender will not be accepted. The service charge should not be less than 3.85% (3% profit plus transaction charges which are 0.85% at present) else tender will be rejected. Service charge should be on monthly basis. The bidder should quote practicable amount for service charge otherwise it will be deemed that bidder is not fair with their workers in disbursing payments and hence, their tenders may not be accepted. In the Financial bid, if a bidder quotes impracticably low service charges,

the bid may be treated as unresponsive and will not be considered. The institute may ask for the justification of the service charges quoted by the bidder for accessing practicability of the quoted service charges. Service charge should be in percentage (%). The service charges are to be quoted in whole number or decimal number, not in fraction.

Further, during the contract period if second party deduct or take money from their workers for their profit and the complaints receive from the workers thereon against them and found correct then their contract is liable to be cancelled and its performance security deposit may be forfeited fully or partly depending upon the discretion of the first party. Also, he or his firm may be blacklisted and the contract may be offered to the next ranking bidder i.e. L2. The decision of the Director, INSTITUTE OFFOREST PRODUCTIVITY, Ranchi in this regard shall be final and binding on him.

3. न्यूनतम मजदूरी का भुगतान: / PAYMENT OF MINIMUM WAGES:

(ए) दूसरी पार्टी ईपीएफ और ईएसआई जैसे सभी वैधानिक लाभों के साथ श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान किया जाना होगा ।

(a) The second party has to pay prescribed minimum wages to the workers with all statutory benefits like EPF & ESI etc .

(बी) जब भी संबंधित वैधानिक निकाय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ईपीएफ, ईएसआई इत्यादि जैसे न्यूनतम मजदूरी और अन्य वैधानिक लाभों में वृद्धि / कमी होती है, तो उन्हें सख्ती से लागू किया जाना चाहिए और अन्य वैधानिक लाभ अनुसार दूसरे पार्टी को अपने श्रमिकों को निर्धारित संशोधित मजदूरी का भुगतान अवष्य किया जाना होगा ।

(b) Whenever there is increase/decrease in the minimum wages and other statutory benefits like EPF, ESI, etc. as per the notification issued by the concerned statutory body, same has to be strictly implemented and the second party has to pay his workers the revised wages and other statutory benefits accordingly.

4. ईपीएफ, ईएसआई एवं जीएसटी मामले EPF, ESI & GST ISSUES:

(क) सफल एजेंसी / ठेकेदार को काम शुरू होने के एक महीने के भीतर भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची परिसर में निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के लिए कार्यरत अपने कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई खाते खोलने होंगे। ईपीएफ और ईएसआई अंशदान के भुगतान के समर्थन में चालान / वाउचर के साथ मासिक बिल इस कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना होगा।

(a) The successful Agency/Contractor has to open EPF and ESI Accounts of his workmen employed for works to be executed in the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY premises within a month of commencement of the work. Monthly bill must be accompanied with Challans / vouchers in support of the payment of EPF & ESI contributions.

(ख) काम पर तैनात प्रत्येक श्रमिक के ईपीएफ और ईएसआई खातों का विवरण एजेंसी / ठेकेदार द्वारा इस कार्यालय को उपलब्ध किया जाना होगा। ईपीएफ और ईएसआई के मासिक अद्यतन का विवरण, वाउचर / चालान का समर्थन करने वाले श्रमिकों के खातों के साथ-साथ कामगार और संस्थान दोनों को उपलब्ध किया जाना होगा।

(b) The details of EPF and ESI Accounts should be provided to every Workman engaged by the Agency/Contractor. Details of monthly updates of EPF & ESI Accounts of workmen along with supporting vouchers / challans should be provided to both the workmen and the institute.

(ग) ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी अंशदानों के भुगतान के समर्थन में वाउचर / चालान के साथ संलग्न मासिक बिल प्रस्तुत किये जाने होंगे, ऐसा नहीं किये जाने पर बिल पारित नहीं किया जाएगा। ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी न जमा किये जाने पर (नॉनडिपॉजिशन) अनुबंध-संचालन को समाप्त किया जाएगा।

(c) Vouchers / Challans in support of payment of EPF, ESI & GST contributions must be enclosed along with monthly bill, failing which the bill shall not be passed. Non-deposition of EPF, ESI & GST contributions will lead to termination of contract.

(घ) समझौते पर हस्ताक्षर करने के तुरंत बाद, एजेंसी / ठेकेदार को ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी खाता संख्या के सभी विवरणों के साथ लगे श्रमिकों की एक सूची प्रदान करनी होगी।

(d) Immediately after signing the Agreement, the Agency/Contractor has to provide a list of workers engaged along with all details of EPF, ESI & GST Account number.

5. कर्मियों की श्रेणीवार काम पर तैनाती की तारीख, कार्मिक के पिता का नाम, पता, मोबाईल क्रमांक,

कार्मिक के हस्ताक्षर सह उपस्थिति-सार, मजदूरी-पत्र, कर्मियों को किए गए भुगतान की बैंक लेनदेन रसीद, पिछले महीने के ईपीएफ, ईएसआई और जीएसटी जमा चालान / रसीद, मय-समय पर लागू ईपीएफ / ईएसआईसी और अन्य कानूनों के अनुपालन के बारे में ठेकेदार का घोषणा-पत्र और आवश्यकता के अनुसार अन्य अनुलग्नक के साथ कर्मियों की सूची संलग्न-सूची सह बिलों को कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हों तभी संस्थान द्वारा अगले महीने / विशेष महीने का भुगतान किया जाएगा ।

The bills must be submitted along with: Attested list of personnel with their date of engagement, father's name, address, mobile no., the work he is allotted as per the category along with his signature, summary of attendance, wage sheet, bank transaction receipt of payment made to personnel, EPF, ESI and GST deposit challan/receipt for the previous month, declaration of the contractor regarding compliance of EPF/ESIC and other laws as applicable from time to time and other enclosures as per requirement. Then only the payment of next month/particular month will be released by the institute.

6. यदि बिल जमा करने में देरी हो जाती है, तो संस्थान भुगतान करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा और दूसरी पार्टी सभी परिणामों के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहेगी ।

If bill submission is delayed, the institute will not be responsible for making payments and second party will be fully responsible for all the consequences.

7. तैनात सभी कर्मियों की आयु अनुबंध अवधि के भीतर 60 वर्ष से कम होनी चाहिए। चौकीदारों की न्यूनतम योग्यता आठवीं पास (8वीं/VIIIवीं) और ऊंचाई 160 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए। अन्य श्रेणियों के कर्मियों के लिए ऊंचाई बाधा नहीं है, लेकिन न्यूनतम योग्यता भारत सरकार के योग्यता मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए, विशेष रूप से कुशल/ अर्धकुशल/लिपिक श्रेणी के कर्मियों के लिए ।

The age of all personnel deployed should be less than 60 years till contract period. The minimum qualification of NIGHT GUARDS should be eight pass (8th/VIIIth) and height should not be less than 160 cm. There is no height bar for other categories of personnel but the minimum qualification should be as per the qualification norms of Government of India specially for skilled/sem-skilled/clerical category of personnel.

8. दूसरी पार्टी को प्रचलित श्रम कानूनों के अनुसार, सभी प्रासंगिक रजिस्टर - वेतन रजिस्टर, अधिसमय रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर, आदि बनाए रखना होगा । यह सभी रजिस्टर ठेकेदार द्वारा तैनात पर्यवेक्षक के पास उपलब्ध होने चाहिए, जिन्हें समय-समय पर संस्थान के एस्टेट अनुभाग / सुरक्षा अनुभाग या

अन्य वैधानिक एजेंसियों द्वारा सत्यापित किया जा सकता है ।

The second party has to maintain all relevant registers – Salary register, over time register, attendance register, etc. as per the prevailing labour laws. All these registers must be available with the Supervisor deployed by the contractor, which can be verified by the Estate section/Security section of Institute or other statutory agencies.

9. दूसरे पक्ष को कर्तव्यों में उदार दिखाना या अस्थिर छाप (कैज्युअल इंप्रेशन) नहीं देना होगा । उन्हें हमेशा सतर्क और चौकस रहना होगा । दूसरी पार्टी को अपने कर्मचारियों /पर्यवेक्षक के लापरवाह और लापरवाह रवैये के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार रहना होगा और तैनात किये हुए कर्मियों पर पर्यवेक्षण रखा हुआ होना होगा । संस्थान में किसी भी नुकसान, चोरी, और उसके कर्मचारियों की लापरवाही और असावधानता के कारण संस्थान और उसके कर्मचारियों की जान-माल की क्षति के लिए, निर्धारित प्रक्रिया के अनुपालन में उनके द्वारा तैनात कर्मियों की श्रेणियों की लापरवाही / विफलता पर दूसरी पार्टी को न्यूनतम रु 5000/- या, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची परिसर में हुए किसी भी नुकसान/चोरी/क्षति के प्रत्येक मामले की वास्तविक लागत जो भी अधिक हो, जुर्माना भरना होगा । इस संबंध में निदेशक का निर्णय दूसरी पार्टी के लिए बाध्यकारी होगा ।

The second party shouldn't give lenient or casual impressions in duties. They should be always alert and attentive. The second party shall be solely and fully responsible for carelessness and negligent attitude of his staff/supervisor towards assigned personnel. In case of any loss, theft, damage to the life and property of the institute and its employees due to carelessness and inattentiveness attitude of his staff/supervisor or negligence/failure of the categories of personnel deployed by him in complying with the prescribed procedure, the second party shall compensate all losses/damages suffered by the ICFRE-Institute of Forest Productivity on this account in full. The second party shall be liable to be fined minimum of Rs. 5000/- or the actual cost whichever is more in each case for any loss/theft/damage in the premises. Decision of the Director in this regard shall be binding on the second party.

10. दूसरा पक्ष संस्थान के परिसर में तैनात अपने कर्मचारी / पर्यवेक्षक को विधिवत हस्ताक्षरित और संख्याबद्ध फोटो पहचान पत्र (यानी आईडी कार्ड) जारी करना होगा । सभी कर्मियों / पर्यवेक्षकों को झूटी पर तैनाती के दौरान अपने-अपने आईडी कार्ड पहने हुए होना होगा ।

The second party shall issue duly signed and numbered Photo Identity Card (i.e. ID card) to his Staff/supervisor deployed in the premises of the Institute. All personnel/Supervisor must wear the ID cards while they are on duty.

11. दूसरे पक्ष द्वारा सभी तैनात कर्मियों के मजदूरी का भुगतान केवल ऑनलाइन बैंक लेनदेन के माध्यम से करना होगा (या तो आरटीजीएस / एनईएफटी आदि द्वारा) और इसकी रसीद की एक प्रति हर महीने भुगतान के लिए बिल के साथ जमा करना होगा। उसके बाद ही अगले देय बिलों पर कार्रवाई की जाएगी। Payment to all deployed personnel should be made through online bank transaction only (either by RTGS/NEFT etc.) by second party and a copy of its receipt should be submitted every month along with the bill for payment. Then only next due bills will be processed.

12. दूसरी पार्टी को अपने समस्त कर्मियों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने सहित सभी प्रचलित श्रम कानूनों का पालन करना होगा। ऐसे मामलों में भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची जिम्मेदार नहीं होगा। तैनात कर्मियों द्वारा किसी भी शिकायत को पूरी तरह से दूसरे पक्ष द्वारा निपटाया जायेगा। The second party should abide by all prevailing labour laws including providing medical facilities to all personnels. ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY shall not be responsible in such matters. Any complaints by deployed personnel has to be solely dealt by second party.

13. इस दस्तावेज़ को सरल और स्पष्ट बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया गया है। 'श्रमशक्ति नियोजन आउटसोर्सिंग सेवाएं-डेली वेजेस' से संबंधित हर जानकारी का उल्लेख किया गया है। तथापि, यदि कोई स्पष्टीकरण अपेक्षित हो तो, बोलीकर्ता प्रमुख, सुविधाएं और सेवाएं / प्रभारी सम्पत्ति अनुभाग को लिखित रूप में निवेदन देकर मांग सकते हैं, या बोली पूर्व बैठक में उसका निदान स्पष्ट कर लिया जा सकता है।

Every endeavor has been made to make this document simpler and clear. Every information related to the 'Manpower Outsourcing Services-DAILY WAGES BASIS' is mentioned. However, if any clarification is required, the bidders may ask the same in writing to the Head, Facilities & Services/In-charge Estate section or the same may be got clarified in pre-bid meeting.

14. सुरक्षा सेवाएं सभी दिवसों में सतत जारी रहेगी तथा नियमानुसार भुगतान किया जाएगा । राष्ट्रीय अवकाश के कार्यदिवसों का नियमानुसार भुगतान किया जाएगा ।

Security services will continue for all days and payment will be as per applicable rules. Payment for National holidays will be as per Govt. rules.

15. निविदा के संबंध में किसी भी रूप में कैनवसिंग को प्रतिबंधित किया गया है और कैनवसिंग का समर्थन करने वाले ठेकेदारों द्वारा प्रस्तुत निविदा अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी ।

Canvassing in any form in connection with the tender is strictly prohibited and the tender submitted by the contractors who resorts to canvassing will be liable for rejection.

16. निविदाएं निविदा खोलने की तारीख से कम से कम 180 दिन अवधि तक के लिए विधिमान्य रहेगी।
The Tenders will be valid for a period not less than 180 days from the date of its opening.

17. दूसरी पार्टी सभी वैधानिक प्रावधानों को लागू करने के लिए जिम्मेदार और उत्तरदायी होगा, जैसा कि रात्रि प्रहरी और अन्य कर्मियों को 1948, अनुबंध श्रम (नियमन उन्मूलन) अधिनियम 1970, श्रमिकों का मुआवजा अधिनियम 1923, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत न्यूनतम मजदूरी के संबंध में उसके द्वारा तैनात किया जाना है । बोनस अधिनियम 1965 का भुगतान, आयकर अधिनियम, जीएसटी अधिनियम के रूप में और जब वे कानून के तहत लागू होते हैं, तो समय-समय पर उनके लिए लागू होने वाले अन्य नियम, विनियम और / या कानून लागू हो सकते हैं । दूसरी पार्टी को नियमानुसार सभी वैधानिक रजिस्ट्रों को रखरखाव एवं बनाये रखना होगा । दूसरी पार्टी को कर्मिकों के ईपीएफ, ईएसआई अंशदान या जीएसटी कटौती या कर्मिकों के अन्य जमा का प्रमाण भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के समक्ष प्रस्तुत करना होगा । यदि, ठेकेदार कर्मिक कानून एवं वैधानिक दायित्व का पालन करने में विफल रहने और भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची को किसी बन्धन, मौद्रिक या अन्य किसी बाध्यता में डालने पर, दूसरी पार्टी के बिल या सुरक्षा जमा राशि या मौद्रिक निबंधन तहत भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची ही खुद अपनी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का हकदार रहेगा ।

The second party will be responsible and liable for the implementation of all the statutory provisions as regards NIGHT GUARD and other personnel to be deployed by him in respect of minimum wages under Minimum Wages Act. 1948, Contract Labour (Regulation Abolition) Act 1970, Workmen's Compensation Act 1923,

Employee Provident Funds Act 1952, Employee State Insurance Act 1948, The Payment of Bonus Act 1965, Income Tax Act, GST Act as and when they become applicable under the law, any other rules, regulations and/or statutes as may be applicable to them from time to time. The second party shall maintain all the statutory register under the law. The second party shall produce the same on demand to the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY authority or any authority under law. The second party shall produce the proof of deduction as well as remittances of EPF, ESI, GST contributions or any other deposit of the workman to the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY authority. In case, the contractor fails to comply with statutory obligation under any labour laws and the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY is put to any obligation, monetary or otherwise, the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY will be entitled to get itself reimbursed out of the bill or the security deposit of the second party or otherwise to the extent of the obligation in monetary terms.

18. दूसरा पक्ष यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी अनधिकृत प्रवेश की अनुमति नहीं दें और प्रवेश बिंदुओं पर रात्रि प्रहरी किसी भी उलझन या हतोत्साहित किए बिना वैध निवासियों और आगंतुकों को वर्गीकृत करने में सक्षम होना चाहिए। वैध निवासियों को वर्गीकृत करने में सक्षम नहीं होने की स्थिति में सुरक्षाकर्मी आतिथेय/अतिथि से संपर्क करेंगे।

The second party will ensure that no unauthorized entry is permitted and the NIGHT GUARDS at the entry points should be able to categorize the legitimate residents and visitors without causing any embarrassment or discourtesy. The security personnel in event of not being able to categorize the legitimate residents shall contact the host/guest.

19. संस्थान परिसर में भटकते कुत्तों और भटकते पशुओं के प्रवेश रोका जाना है। /Entry of stray dogs and stray cattle into the campus is to be prevented.

20. यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि पेड़, फूल, पौधे और घास के लॉन को परिसर के रहवासी या बाहरी लोगों द्वारा क्षतिग्रस्त नहीं होने दिया जाना चाहिए।

It should be ensured that trees, flowers, plants and grassy lawn are not damaged either by the campus inmates or by outsider.

21. किसी भी परिस्थिति में किसी भी बाल श्रम को किसी भी कार्य के लिए नियोजित नहीं किया जाना चाहिए।/No child labour should be employed for any of the work in any circumstances.

22. सभी भुगतान प्रतिपूर्ति के आधार पर किए जाएंगे और फर्म को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। All payments will be made on reimbursement basis and no advance shall be paid to the firm.

23. यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि कोई बिल सहायक दस्तावेजों के साथ नहीं है या संस्थान द्वारा किसी भी कारण से बिल विवादित है, तो इस तरह के चल रहे खाते का बिल संस्थान द्वारा देय नहीं होगा, जब तक कि विवाद हल न हो जाए। या सहायक दस्तावेज दूसरी पार्टी द्वारा प्रदान किए गए हैं, जैसा भी मामला हो।

It is clarified that if a bill is not accompanied by the supporting documents or if the bill is disputed for any reason by the Institute, then such amounts of the running account bill shall not be treated due and payable by the Institute, until the dispute is resolved or the supporting documents have been provided by the second party, as the case may be.

24. दूसरी पार्टी पूरे भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के बिल्डिंग और उसके परिसर और संस्थान के पूरे परिसर की सुरक्षा एवं रखरखाव हेतु पूरी तरह से जिम्मेदार होगी (जिसमें इसकी संरचनाएं, स्थापना, फिटिंग, उपकरण, वाहन, कार्यालय, उद्यान और हाउस होल्ड उपकरण और सामग्री, भवन, सामग्री के रखरखाव के लिए, परिसर में कार्यरत, रहवासी एवं भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची या निवासियों के स्वामित्व वाली कोई अन्य संपत्ति, भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के परिसर में रहने या काम करने वाले आगंतुकों की सुरक्षा भी शामिल है)

The second party shall be fully responsible for Housekeeping entire ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY Building & its campus and Security of the entire campus of the Institute. (which includes its structures, installations, fittings, equipments, vehicles, office, gardens and house hold appliances and materials, buildings, materials and any other property owned by the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY or inmates residing or working in or visiting the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY campus).

25. दूसरे पक्ष को भा.व.आ.शि.प - वन उत्पादकता संस्थान, राँची के संबंधित अधिकारियों के साथ संपर्क

में तैनात कर्मियों को सौंपे गए दिन-प्रतिदिन के काम की निगरानी के लिए अपने खर्च पर एक पर्यवेक्षक तैनात करना चाहिए और उन्हें रोजाना रिपोर्ट करना चाहिए।

The second party should deploy a supervisor on own expenses to supervise day to day work entrusted to the deployed personnel in liaison with the concerned officials of ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY and report them daily.

26. सुरक्षा में तैनात रात्रि प्रहरी को हर माह ट्रेनिंग देना, माक ड्रिल कराने की जिम्मेदारी सम्बंधित फर्म / एजेंसी की होगी। /It will be the responsibility of the firm/agency to give training every month to the NIGHT GUARDS posted in security, to conduct mock drills.

27. सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने हेतु निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005 (PSARA) का वैध लाइसेंस प्रस्तुत किया जाना होगा। वैध लाइसेंस निविदा के साथ प्रस्तुत ना किये जाने की स्थिति में सफल निविदाकर्ता को निविदा आवंटन से अधिकतम 30 दिवस के भीतर उक्त प्रमाण पत्र इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा।

Valid license of Private Security Agency Regulation Act, 2005 (PSARA) must be produced for providing security services. In case valid license is not submitted along with the tender, the successful bidder will have to submit the said certificate to this office within a maximum of 30 days from the allotment of the tender.

मूल्यांकन / EVALUATION

बोलियों के मूल्यांकन में दो बोली मूल्यांकन प्रक्रिया अपनाई जाएगी:

Two bid evaluation procedure will be adopted in evaluating the bids:

- (i) वित्तीय बोली खोलने से पहले आवश्यक प्रमाणपत्रों / दस्तावेजों के आधार पर बोलियों का तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा। तकनीकी मूल्यांकन में योग्य निविदाओं की ही वित्तीय बोलियां खोली जाएंगी।

A technical evaluation of the bids on the basis of the required certificates/ documents will be carried out prior to opening of the financial bid. Those who qualify in technical evaluation, only their financial bids will be opened.

- (ii) संबंधित बोलीदाताओं की वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के बाद, अंतिम रूप से योग्य बोलीदाता को टीईसी द्वारा एल1 घोषित किया जाएगा और इस अनुबंध के लिए पात्र होगा।

A financial evaluation- After evaluation of financial bids of the relevant bidders, finally qualified bidder will be declared L1 by TEC and eligible for award of contract.

तकनीकी निविदा मूल्यांकन/ Technical tender Evaluation

मूल्यांकन समिति नीचे निर्दिष्ट मूल्यांकन मानदंड और स्कोरिंग प्रणाली को लागू करते हुए अपना मूल्यांकन करेगी। प्रत्येक प्रतिक्रियाशील निविदा को एक तकनीकी स्कोर (St.) दिया जाएगा।

The evaluation committee will carry out its evaluation applying the evaluation criteria and scoring system as specified below. Each responsive tender will be attributed a technical score (St.).

तकनीकी मूल्यांकन मानदंड के लिए आबंटित अंक इस प्रकार हैं:-

The marks allotted to technical evaluation criteria are as under:-

क्र.सं. S.No.	विवरण /Particulars	अधिकतम अंक / Maximum Score/marks	प्राप्तांक/अंक Score/Marks Obtained
1.	फर्म/एजेंसी/सोसाइटी/व्यक्ति आदि के पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र। Valid Certificate of Registration of the firm/ Agency / Society/ individual, etc.	05	
2.	जीएसटी और पैन कार्ड का पंजीकरण प्रमाण पत्र Registration certificate of GST and PAN card	10	
3.	तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर (आईटी) रिटर्न Income Tax (IT) Return for the three Financial Years	15	
4.	राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम में तीन वर्षों का कार्य अनुभव। Work experience for the three years in State/ Central Govt. establishments/ PSUs)	15	
5.	स्थानीय स्तर पर वृक्षीय नर्सरी एवं प्रायोगिक वृक्षारोपण के कार्य का अनुभव। Experience of working in arboreal nurseries and experimental plantations at local level.	10	
6.	फर्म/एजेंसी/सहकारी समितियों आदि में कार्यरत/पंजीकृत सदस्य (सदस्यों की संख्या 80 से अधिक सदस्य होने पर एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं का उचित प्रतिनिधित्व)-वैध प्रमाण संलग्न होने पर Number of members registered/working in the Firm/ Agency/Cooperative Society etc. (Having more than 80 members and reasonable representation of SC, ST and Women)-on attachment of valid proof.	40	
7.	फर्म/एजेंसी/ सहकारी समितियों आदि का निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005 (PSARA) का वैध लाइसेंस। Valid license of Private Security Agency Regulation Act, 2005 (PSARA) in the name of the agency/firm/ Cooperative Society etc.	05	

वित्तीय मूल्यांकन के लिए विचार किए जाने के लिए तकनीकी निविदा को 100 में से कम से कम 90 अंक प्राप्त होने चाहिए।

The technical tender should score at least 90 marks out of 100 to be considered for financial evaluation.

वित्तीय निविदा मूल्यांकन/ Financial Tender Evaluation

मूल्यांकन समिति यह निर्धारित करेगी कि वित्तीय निविदाएँ पूर्ण हैं और कम्प्यूटेशनल त्रुटियों के बिना हैं। सबसे कम/न्यूनतम वित्तीय निविदाओं (Fm) को 100 अंक का वित्तीय स्कोर (Sf) दिया जाएगा। अन्य निविदाओं के वित्तीय अंकों की गणना निम्नानुसार की जाएगी –

$Sf = 100 \times Fm / Fx$ (जहाँ Fx वित्तीय निविदा की राशि यानी निविदा मूल्य है)

The evaluation committee will determine if the financial tenders are complete and without computational errors. The lowest /minimum financial tenders (Fm) will be given a financial score (Sf) of 100 points. The financial scores of other tenders will be computed as follows -

$Sf = 100 \times Fm / Fx$ (Where Fx is amount of financial Tender i.e. tender value)

निविदा को अंततः सूत्र $S = St \times T\% + Sf \times F\%$, जहाँ S = संयुक्त स्कोर का उपयोग करके उनके संयुक्त तकनीकी स्कोर (St) और वित्तीय स्कोर (Sf) के अनुसार रैंक किया जाएगा। जिन निविदाकारों ने अधिकतम संयुक्त स्कोर (S) हासिल किया है, उन्हें L1 और इसी तरह आगे रैंक दिया जाएगा। फिर अनुबंध L1 रैंक वाले बोलीदाता को दिया जाएगा।

Tender will finally be ranked according to their combined technical score (St) and financial score (Sf) using the formula $S = St \times T\% + Sf \times F\%$, where S = Combined score. The tenderers who secured maximum Combiined score (S) will be ranked L1 and so on. Then the contract will be awarded to L1 ranked bidder.

{तकनीकी निविदा को दिया गया वेटेज (T%) 70% है और वित्तीय निविदा को दिया गया वेटेज (F%) 30% है या GeM पोर्टल पर उपलब्ध विकल्प के अनुसार}

{The weightage (T%) given to the Technical tender is 70% and the weightage (F%) given to the financial tender is 30% or as per available option on GeM portal}

(FINANCIAL BID)

We quote the following rates for providing the services:

Sl. No.	Nature of Works	Total number of requirements. (Tentatively)	Wages per person/per day** (₹)	Service Charge (%)
1.	Electrician	01	542.00	% of the wages*
2.	Driver HMV (Highly Skilled)	02	607.00	
3.	Computer/Data Entry Operator (Clerical)	01	542.00	
4.	SKILLED WORKER	01	542.00	
5.	SWEEPER	03	454.00	
6.	MAZDOOR	10	454.00	
7.	COOK (SKILLED)	01	542.00	
8.	NIGHT GUARD	02	542.00	
	Total Manpower	21		

Note :- The bidder has to quote only the service charges. All other payments are of statutory nature and shall be paid according to the prevailing rules.

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज / Documents to be attached

निम्नलिखित दस्तावेजों को एकल पीडीएफ दस्तावेज के रूप में विधिवत हस्ताक्षरित और स्कैन करने के बाद क्रमवार संलग्न और अपलोड किया जाना है। साथ ही पेज संख्या भी बताएं। प्रत्येक पृष्ठ में पृष्ठ संख्या अंकित करें।

The following documents are to be enclosed and uploaded serial wise after duly signed and scanned as single pdf document. Also, indicate the page nos. against each of it.

क्र.सं. S.No.	अपलोड किए जाने वाले प्रमाणपत्र/दस्तावेज Certificate / Documents to be uploaded	पृष्ठ संख्या Page nos.
1	निविदा प्रपत्र सहित संपूर्ण निविदा दस्तावेज Whole tender document including tender form	
2	फर्म/एजेंसी आदि के पंजीकरण का वैध प्रमाण पत्र। Valid certificate of Registration of the firm/agency etc.	
3	जीएसटी पंजीकरण प्रमाण पत्र/GST Registration Certificate	
4	निविदाकर्ता / फर्म का पैन कार्ड/PAN Card of the bidder/firm	
5	ईपीएफ पंजीकरण प्रमाणपत्र /EPF Registration Certificate	
6	ईएसआई/ पंजीकरण प्रमाणपत्र /ESI Registration Certificate	
7	तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर (आईटी) रिटर्न Income Tax (IT) Return for the three Financial Year	
8	एजेंसी/फर्म/व्यक्ति आदि के नाम पर निजी सुरक्षा एजेंसी विनियमन अधिनियम, 2005 (PSARA) का वैध लाइसेंस।/ Valid license of Private Security Agency Regulation Act, 2005 (PSARA) in the name of the agency/firm/individual etc.	
9	फर्म / व्यक्ति आदि को यह सूचित करते हुए उसके खिलाफ कोई आपराधिक / कानूनी मुकदमा लंबित या चिन्तित न हो और गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर रु 500/ या उससे अधिक रुपये का गैर-न्यायिक स्टांप पेपर पर नवीनतम (बोली प्रकाशन तिथि के बाद का) नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा। / The firm/individual etc. must enclose a latest notarized affidavit (issued between Bid publish/start date and Bid end date) indicating that there is no criminal/legal suit pending or contemplated against it & of non-blacklisting on non-judicial stamp paper of Rs. 500/- or more.	

10	<p>बोलीदाता को 500/- रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक II) में नोटरीकृत हलफनामा प्रस्तुत करना होगा । Bidder must submit Notarized affidavit (issued between Bid publish/start date and Bid end date) in the prescribed format (Annexure III) on non- judicial stamp paper of Rs.500/-</p>	
11	<p>निदेशक, वन उत्पादकता संस्थान के पक्ष में बैंक से Rs. ₹ 64,291 के ईएमडी के लिए डीडी की स्कैन की गई प्रति या ईएमडी जमा करने के लिए छूट का प्रमाण पत्र । Scanned copy of DD for EMD of Rs. ₹ 64,291 from bank in favour of Director, Institute of Forest Productivity, Ranchi or certificate of exemption for depositing EMD</p>	
12	<p>राज्य/केंद्र सरकार/सार्वजनिक उपक्रम में सम्बंधित कार्यों का तीन वर्षों का अनुभव। Experience for the last three years in State/ Central Govt. Establishments/ PSUs for similar type of work</p>	
13	<p>स्थानीय स्तर पर पंजीकृत सहकारी समिति / श्रमिक कल्याण संघ का प्रमाण , यदि है Certificate if registered at local level as cooperative society/shramik kalyaan sangh</p>	
14	<p>MSME प्रमाण पत्र यदि लागू हो MSME certificate if applicable</p>	
15	<p>स्टार्टअप बोलीदाता को उनकी मान्यता के लिए संबंधित विभाग/मंत्रालय से जारी वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए। / Startup bidder should submit the valid certificate issued from the concerned department/ministry for their recognition.</p>	
16	<p>निर्धारित घोषणा अनुलग्नक IV /Declaration as prescribed in Annexure IV.</p>	
17	<p>पावर ऑफ अटॉर्नी / पार्टनरशिप डीड की कॉपी यदि कोई हो / Copy of Power of attorney/Partnership deed if any.</p>	
18	<p>स्थानीय स्तर पर पते का प्रमाण यदि है तो /Proof of local address of the firm if any.</p>	
19	<p>अन्य प्रासंगिक दस्तावेज यदि कोई हो /Other relevant documents if any</p>	

ANNEXURE- II

प्रारूप : उपरोक्त बिंदु पर कम से कम तीन वर्ष या उससे अधिक के कार्य अनुभव का विवरण:

Format : Details of work experience of at least 3 years in respect to the Point above:

Sl. No.	विभाग का नाम / संगठन & संपर्क नंबर Name of the Deptt. / Organization & Contact No.	अवधि /Period		स्टाफ की तैनाती संख्या Number of staff deployed	सेवाओं की पेशकश की प्रकार Type of Services offered	कुल अनुबंध लागत प्रति वर्ष Total Contract cost per annum	संलग्न सहायक दस्तावेजों के पृष्ठ सं. Page no. of supporting documents enclosed
		From/से (dd/mm/yyyy)	To/तक (dd/mm/yyyy)				

नोट/ Note: सफल निविदाकर्ता को उनके द्वारा खरीदे गए केवल 500 रुपये के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY के साथ एक विस्तृत अनुबंध करना होगा।
The successful Tenderer will have to enter into a detailed contract agreement with ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY on non-judicial stamp paper of Rs. 500/- (Rupees Five hundred only) to be purchased by the successful bidder.

नोट/ Note: यदि निविदा दस्तावेज के हिंदी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण के बीच कोई टकराव या असंगति पाई जाती है, तो विवाद की स्थिति में न्यायालयीन कार्यों हेतु अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।/If there is any conflict or inconsistency between the Hindi version and the English version of the tender document, then English shall be the governing and prevailing version.

Annexure III

AFFIDAVIT

(An Affidavit should be submitted by the bidder before the Director, ICFRE-INSTITUTE OFFOREST PRODUCTIVITY, Ranchi. Bidder should submit this Notarized affidavit on non- judicial stamp paper of Rs.500/-)

I _____ hereby affirm that I have quoted practicable amount in financial bid for service charge in respect of my firm for the tender **“Manpower Outsourcing Services-DAILY WAGES BASIS”** at ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, Ranchi. I agree that ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY Authority may ask for the justification of the service charges quoted by me for accessing practicability of the quoted service charges. If ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY Authority finds the quoted service charges as impracticably low, my bid may be treated as unresponsive and may not be considered.

I also agree that during the contract period if it is found by ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY Authority that I or my firm deduct or take money from the workers engaged for our profit margin and the complaints receive from the workers thereon against me or my firm and is found correct, my contract is liable to be cancelled and the performance security deposit may be forfeited fully. Also, myself or my firm may be blacklisted and the ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY Authority may offer contract for the above tender to the next ranking bidder i.e. L2 or the process of new tender may be initiated. The decision of the **Director/ICFRE-INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY Authority, ICFRE-Institute of Forest Productivity, Ranchi** in this regard shall be final and binding on me.

Signature & Seal of Tenderer with date_

Address

Name & Signature of witness _____

Address _____

घोषणा

सेवा में ,
निदेशक
भा.व.आ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान
एनएच 23, गुमला रोड, लालगुटवा
रांची - पिन- 835303
महोदय,

1. मैंने/हमने _____ विशेष रूप से
भा.व.आ.शि.प. - वन उत्पादकता संस्थान , रांची में श्रमशक्ति **नियोजन** आउटसोर्सिंग सेवाएं – डेली वेजेस
के आधार पर के लिए वार्षिक दर / कार्य अनुबंध के लिए सामान्य जानकारी और अन्य नियम और शर्तों
आदि के बारे में सभी विवरण पढ़े हैं, और सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हैं निविदा दस्तावेज में या
उसके भाग में विस्तृत रूप में आप निविदा की स्वीकृति में निर्दिष्ट कर सकते हैं। अनुबंध स्वीकार होने की
स्थिति में उद्धृत की गई दरें एक वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगी। मैं / हम निर्धारित समय के भीतर
प्रेषित एक संचार स्वीकृति से बंधे होंगे।
2. मैंने/हमने अनुबंध के लिए नियम और शर्तों को समझा है और इन आवश्यकताओं के अनुसार
सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करेंगे।
3. इस निविदा के साथ संलग्न प्रत्येक पृष्ठ पर मेरे हस्ताक्षर और आधिकारिक मुहर हैं।

तिथि के साथ निविदाकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर-----

पता-----

साक्षी का नाम और हस्ताक्षर-----

पता-----

DECLARATION

To
The Director
ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY
NH 23, Gumla Road, Lalgutwa
Ranchi - 835303

Sir,

1. I/we _____ have read all the particulars regarding the general information and other terms and conditions etc for **Annual Rate/ Work Contract for Manpower Outsourcing Services – ON DAILY WAGES BASIS at ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, Ranchi**, and agree to provide the services as detailed in the tender document or to such portion thereof as you may specify in the acceptance of the tender. The rates quoted will be valid for a period of one year in the event of award of the Contract. I/ we shall be bound by a communication acceptance dispatched within the prescribed time.
2. I/we have understood the terms and conditions for the contract and shall provide the best services strictly in accordance with these requirements.
3. Every page so attached with this tender bears my signature and the official seal.

Signature & Seal of Tenderer with date_

Address

Name & Signature of witness _____

Address _____

TENDER FORM

1. टेंडरिंग कंपनी/फर्म/एजेंसी/व्यक्ति का नाम/Name of Tendering Company/Firm/Agency/Individual:

2. निविदाकर्ता के पिता का नाम (यदि फर्म, फर्म के मालिक का नाम / भागीदारों का नाम)Name of Father of tenderer (if firm, name of firm proprietor/name of partners): -----

3. कंपनी / फर्म / एजेंसी / व्यक्ति के कार्यालय का पूरा पता /Full Address of Office of the Company/ Firm / Agency/Individual:

_____.

a. Telephone/Mobile No:

b. FAX No (if any):

c. E-Mail Address :

4. कंपनी / फर्म / एजेंसी / व्यक्ति का पैन नंबर PAN No. of the Company / Firm / Agency / Individual:_____

_____ (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) (Attach self attested copy)

5. गुड्स सर्विस टैक्स (GST) पंजीकरण संख्या /Goods Service Tax (GST) Registration No.

:_____

(स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) /(Attach self attested copy).

6. तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर रिटर्न की फोटोकॉपी (वर्ष का उल्लेख करें)/Photocopy of Income Tax Return for the three financial years (Mention the year)

:_____ (स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें) /(Attach self attested copy).

7. क्या बोलीदाता का स्थानीय कार्यालय राँची में है/Whether bidder has local office at Ranchi. :_____ (हां / नहीं) (इसके समर्थन में स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)/(Yes/No) (Attach self attested copy in support of it).

8. बयाना राशि का विवरण/Details of Earnest Money: Rs._____ (DD नं./No._____ तारीख Date/ _____ बैंक में देय/drawn on Bank_____ निदेशक, उ.व.अ.सं., जबलपुर के पक्ष में/in favor of Director, ICFRE- INSTITUTE OF FOREST PRODUCTIVITY, Payable at Ranchi. (या स्वप्रमाणित छूट दस्तावेज संलग्न करें/ Or attach self attested Exemption document).

9. क्या निविदा दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर और मुहर लगी है: (हां / नहीं)/Whether each page of tender document has been signed and stamped:_____. (Yes/No)

10. पंजीकरण का विवरण/Details of Registration:

विभाग का नाम, जहां ठेकेदार / फर्म के रूप में पंजीकृत है /Name of Department, where registered as contractor/firm _____ पंजीकरण संख्या /Registration Number _____ पंजीकरण की समाप्ति तिथि /Expiry date of Registration_____

11. बिडर का बैंक, उसका पता और बैंक खाता संख्या /Bidder's Bank, its address and Bank account no:

में / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि ऊपर दी गई जानकारी सही और सत्य है /I/We hereby declare that the information furnished above is true and correct.

Place/स्थान :

फर्म की सील के साथ बोलीदाता / प्राधिकृत
हस्ताक्षरकर्ता का हस्ताक्षर /Signature of
Bidder/Authorized Signatory with seal
of the firm

Date/दिनांक :

निविदाकर्ता का नाम/Name of the Bidder: _____

(END OF DOCUMENT)